खण्ड-165, अंक-6
शुक्रवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(24 फरवरी, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 165 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

LEGISLATURE LIBRARY
24 JUL 1956
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २४ फरवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३८)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशी प्रसाद पान्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पान्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पान्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार,श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री

घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
जोराबर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पान्डेय, श्री
धनुषधारी पान्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री

बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
विशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवती दीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुबीरसिंह, श्री
रतन लाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री

रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेर्तासिह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा बख्श सिंह
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल कपूर, श्री
शिवराजवली सिंह, श्री
शिवरामपांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द ,डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल,श्री
सुखीराम भारतीय ,श्री
सुन्दरदास,श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी ,श्री
सूर्य्यबली पांडेय,श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी ,श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां,श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री

हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर का स्थगन

श्री अध्यक्ष---आज के प्रश्नोत्तर जो हैं वह स्थगित कर दिये गए हैं क्योंकि एक ही समय में विधान परिषद् और विधान सभाओं के सामने बजट उपस्थित होना है और उनके यहां कोई प्रश्न आज दुर्भाग्य से नहीं हैं। इसलिये एक साथ बजट उपस्थित होना जरूरी होने के कारण प्रश्नों को यहां भी स्थगित कर दिया गया है। अगले हफ्ते में इनको ले लिया जायगा ।

आय-व्ययक की कुछ मदें वित्त समिति में न भेजने के कारण आय-व्ययक प्रस्तुत करने पर वैधानिक आपत्ति

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५६-५७ का उत्तर प्रदेश का बजट पेश करता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था जहां तक मेरी जानकारी है १११ आइटम फाइनेन्स कमेटी के सामने बजट के नहीं आये हैं और वह बजट इस समय माननीय मंत्री जी सदन में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मैं इसमें आपकी व्यवस्था जानना चाहता हूं क्योंकि फाइनेन्स कमेटी ऐडवाइजरी कमेटी जरूर है मगर उसकी कुछ पोजीशन भी है । उसमें विभिन्न स्थानों पर क्या होता है पार्लियामेन्ट के अन्दर क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अन्दर क्या होता है, क्या व्यवस्था है इन तमाम को देखते हुए मैं समझता हूँ कि जब तक फाइनेंस कमेटी हर बात को अच्छे तरीके से न देखे और तमाम आइटम पर अपनी सम्मति वह न प्रकट कर दे तब तक माननीय मंत्री जी को बजट पेश नहीं करना चाहिये । इसलिये मैं इस पर आपकी व्यवस्था जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी परिस्थिति में होना चाहिए ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---एक तो मैं मुख्तसर सी बात यह अर्ज करूं कि यह जो बात कही गई इसकी तो चर्चा जनरल डिस्कशन में हो सकती है और जबाब मिल सकता है। लेकिन यों वह चाहें तो मैं अभी जवाब दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष---सवाल यह है कि वह तो यह कह रहे हैं कि बजट आप पेश ही नहीं कर सकते तब तक ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं अर्ज करूं कि फाइनेन्स कमेटी कायदों की रू से एक ऐडवाइजरी कमेटी है और रूल्स में लिखा हुआ है कि गवर्नमेन्ट जिस किसी काम को चाहे उनके सामने ले जाय और जिसको चाहे न ले जाय, यह गवर्नमेन्ट का अख्तियार है। इस साल के जितने नये प्रोपोजल्स थे उनमें से सिर्फ वह जो प्लान के मुताल्लिक हैं दूसरी योजना के उनकी निस्बत कमेटी के होने से बहुत पहले सबके पास कापियां भेज दी गई थीं और उनकी खिदमत में एक लेटर भेज दिया गया था कि उनकी तादाद इतनी है कि इन सब पर बहस होना मुश्किल है। दूसरे यह कि ये तजवीजें गवर्नमेन्ट आफ इंडिया और यू० पी० गवर्नमेन्ट के मशविरे से अन्तिम तौर पर तय हो चुकी हैं। लिहाजा मेम्बरान उनको पढ़कर तशरीफ ले आयें और उनमें से जिस किसी चीज की बाबत बहस करना हो या दरियाफत करना हो...

श्री अध्यक्ष---यह तो फैक्ट्स की बातें हैं कांस्टीयूशनल आपत्ति के सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं आप ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---कांस्टीट्यूशनल तो कोई सवाल उत्पन्न ही नहीं होता, इसके मुताल्लिक ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी को सुना और मैं समझता हूं कि यह ऐडवाइजरी बाडी अगर फाइनेंस कमेटी मान ली गई तो एक बड़ा बैड प्रिसीडेंस सेट अप हो जायगा। यह हो सकता है कि माननीय वित्त मंत्री जी किसी स्पेशल सर्कमस्टांस में जैसा कि इस समय है वह बिना फाइनेन्स कमेटी के एप्रूवल के ही बजट को पेश कर लें। उसमें माननीय राजनारायण जी को जो कुछ कहना होगा वह बतायेंगे। हम उससे सहमत हैं, लेकिन अगर माननीय वित्त मंत्री जी इस उसूल पर कि यह सिर्फ ऐडवाइजरी बाडी है उसकी तो हमें सिर्फ राय लेनी है, स्टिक करें तो यह बड़ा बुरा प्रोसीडेन्ट इस स्टेट के लिये हो जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस चीज पर इन्सिस्ट न करें कि यह सिर्फ ऐडवाइजरी बाडी है और आगे से जब कभी मौका मिले तो फाइनेन्स कमेटी के एप्रूवल को बजट को इस हाउस में पेश करने से पहले अवश्य ले लेना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि क्या फाइनेन्स कमेटी द्वारा खर्चे की कुछ मदों को स्वीकार करने के पेश्तर बजट हाउस में उपस्थित किया जा सकता है या नहीं। १६१ नियम में यह दिया हुआ है। मैं उसको पढ़ कर सुना देता हूं, क्योंकि नियम अंग्रेजी में है :---

"CONSTITUTION OF FINANCE COMMITTEE—As soon as may be after the commencement of the first session of each Assembly, a Standing Committee of members shall be constituted for the purpose of advising the Government in such matters as may be referred to it for opinion. This Committee shall be known as the Finance Committee."

इसका हिन्दी अनुवाद यह है:---

प्रत्येक सभा के प्रथम सत्र के आरंभ होने पर यथाशीघ्र सदस्यों की एक स्थायी समिति बनायी जायगी जिसका अभिप्राय होगा कि वह सरकार को उन विषयों में परामर्श दे जो उसकी राय के लिये निर्दिष्ट किये जायं। इस समिति का नाम वित्त समिति होगा।

तो एक तो नियम में यह है कि यह सलाहकार समिति होगी और उन्हीं विषयों पर वह विचार कर सकेगी जो उसके सामने राय के लिये उपस्थित किये जायं। तो जब वैधानिक प्रश्न विचार किया जाता है तब यदि यह होता कि हर विषय उसके सामने उपस्थित करना लाजिमी है तो भी कुछ अन्दाजा किया जा सकता है कि इस नियम का उद्देश्य यह है कि उसको हर खर्चे के प्रश्न के ऊपर पूछा जाना ही चाहिये। लेकिन जिस प्रकार नियम है उसके अनुसार यह भी हो सकता है कि सरकार उसे न भी पूछे तो जब इतना अधिकार सरकार को है और केवल सलाह वह उन विषयों में लेगी जिन विषयों को वह चाहती है कि फाइनेन्स कमेटी के सामने उपस्थित हों तो वैधानिक दृष्टि से यह कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती कि इस खर्चे के बारे में क्यों समिति से नहीं पूछा और उसे बगैर पूछे बजट में क्यों रख दिया? मैं समझता हूं लोक सभा में भी कोई यह स्टेटुटोरी कमेटी नहीं है। वहां भी इसी तरह नियमों के अन्दर ऐसी स्टैंडिंग कमेटी बनायी जाती है। चूंकि अचानक यह प्रश्न उठाया गया है इसलिये मैं निश्चय-पूर्वक नहीं कह सकता हूं लेकिन याददाश्त से मुझे मालूम है कि इस तरह की कमेटी ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में होती ही नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वहां भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---तो ऐसी अवस्था में कि इस सम्बन्ध में पार्लियामेन्ट का क्या प्रीसीडेन्ट है उसको राजनारायण जी ने भी सामने नहीं रखा, उनको मालूम नहीं था नहीं तो वे रखते और मेरी समझ में भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है । ऐसी अवस्था में मैं यही निर्णय देता हूं कि बजट का प्रस्तुत करना वैध है, इसमें कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती ।

जहां तक प्रथा का सम्बन्ध है कि क्या होना चाहिये । यह खतरा माननीय उपाध्याय जी ने उपस्थित किया कि सरकार हर साल ही इस तरह से करे । गवर्नमेन्ट न पूछे फाइनेन्स कमेटी को तो उसके बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है । तो नियम से मन्शा तो यह मालूम होता है कि कुछ विषयों में पूछना लाजिमी चाहे न हो लेकिन साधारणतः पूछना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह विषय इस वक्त उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है । इसलिये जब खतरा इस बारे में उपस्थित हो तो प्रथा आपस में बातचीत करके तय की जा सकती है । और मैं आशा करता हूं कि जब हमेशा पूछा जाया करता था तो गवर्नमेन्ट यह नहीं चाहती है कि न पूछने का इस बार का तरीका रिवाज सा पड़ जाय । किसी विशेष परिस्थिति में जैसी कि माननीय वित्त मंत्री जी बयान कर रहे थे, उन्हें इस वर्ष यह तरीका लेना पड़ा । उनका मंशा यही मालूम पड़ता है कि प्रथा यही रहेगी कि जो नये खर्चे आयेंगे उन पर वित्त समिति में विचार विनिमय हो । चाहे उसकी राय सरकार स्वीकार करे या न करे, यह तो केबिनेट का अधिकार है और सदन का अधिकार यह है कि अगर केबिनेट ने कोई ऐसी चीज की है जिसको माननीय सदस्य नहीं चाहते हैं तो सदन जो राय देगा उसके लिये सरकार बाध्य होगी ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपत्ति कर रहा था, आपने जो कहा यहां तक तो ठीक है लेकिन हमारी आपत्ति दूसरी है ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, एक दफा रिफर करके क्या वह बैक लिया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---वह बैक करने का सवाल नहीं है । मान लीजिये उन्होंने पूछा ही न होता ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, इन दोनों में क्या ऐसे कोई फर्क नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---वैधानिक दृष्टि से नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमान् आज तो इस समय बजट पेश हो रहा है । इसमें और सवाल उठेंगे इसलिये इसको किसी और दिन रख दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---बजट के संबंध में जो निर्णय दिया है वह फायनल है । दूसरे सवाल उठेंगे वह फिर देखें जायगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन् इसमें और भी सवाल उठेंगे इसलिये किसी दूसरे दिन के लिये आप आज्ञा दे दें ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है ।

१९५६-५७ के बजट का आय-व्ययक

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५६-५७ का बजट पेश करता हूं।

२—जो बजट मैंने पेश किया है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल का बजट है। केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन से देर तक बातचीत होने के बाद फिलहाल यह निश्चय हुआ है कि उत्तर प्रदेश के दूसरे प्लान पर २४८ करोड़ रुपये व्यय किये जायं जिनमें से ८५ करोड़ ५० लाख रु० रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर होगा और १६२ करोड़ ५० लाख रु० कैपिटल एक्सपेन्डीचर, जिसमें वह रकमें भी शामिल हैं जो कर्ज के तौर पर दी जाती हैं। इसमें से बजट वर्ष में राजस्व से १२ करोड़ ३२ लाख और ऋण से ३० करोड़ ८५ लाख यानी कुल ४३ करोड़ १७ लाख रुपये के शुद्ध व्यय की व्यवस्था की गई है। राजस्व खर्चे के १२ करोड़ ३२ लाख रुपये में से ५ करोड़ ८० लाख केन्द्रीय सरकार से मिलेंगे और बाकी रुपया इस राज्य को व्यय करना होगा। इसी तरह ऋण के ३० करोड़ ८५ लाख रुपये में से २६ करोड़ ५० लाख रुपये गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया से मिलेंगे और बाकी हमको लगाने होंगे। प्लान के खर्चे के अतिरिक्त जो रुपया खर्च करने के लिये इस बजट में रखा गया है वह राजस्व से ८२ करोड़ ५९ लाख रु० और ऋण से २१ करोड़ ६५ लाख रुपया है। इस तरह उत्तर प्रदेश का १९५६-५७ का शुद्ध बजट १४७ करोड़ ४१ लाख रुपये का है जिसमें ९४ करोड़ ९१ लाख राजस्व से व्यय किया जायगा और ५२ करोड़ ५० लाख ऋण से। इसके मुकाबिले में बजट वर्ष के लिये रेवेन्यू या राजस्व का अन्दाजा ८५ करोड़ ३६ लाख रुपया है। इस तरह पर आमदनी के मुकाबिले में खर्चा ९ करोड़ ५५ लाख रुपया ज्यादा है।

३—अब मैं जैसे कि हर साल बजट में दिखलाया जाता है १९५४-५५ के ऐक्चुअल्स (Actuals) यानी आखीरी तौर पर तय की हुई रकमें और १९५५-५६ के दोहराये हुए तखमीने यानी रिवाइज्ड एस्टीमेट्स (Revised Estimates) और बजट वर्ष के तखमीने एक हिसाब की सूरत में पेश करता हूं और यह बतलाता हूं कि उनसे क्या नतीजे निकलते हैं।

४—नीचे दिये हुए नक्शे में १९५४-५५ के लेखे संक्षेप में दिये गये हैं :—

		(लाख रुपयों में) मूल बजट (Original Budget)	वास्तविक आंकड़े (Actuals)
आरम्भिक शेष (Opening Balance)	.. ..	२,३३,	१५,६६,
१—संचित निधि—(Consolidated Fund)—			
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Head) —			
(१) प्राप्तियां (Receipts) ..	..	७७,१६,	७८,१९,
(२) व्यय (Charges)	..	८१,०७,	७७,५८,
		−३,९१,	+६१,

	(लाख रुपयों में)	
	मूल बजट (Original) (Budget)	वास्तविक आंकड़े (Actuals)
(ख) पूंजी व्यय (Capital Expenditure) ..	२०,२२,	१६,००,
(ग) सार्वजनिक ऋणों से हुई शुद्ध प्राप्तियां (Net Receipt from Public Loans) ..	+६,००,	..
(घ) दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other Debt and Deposit Heads (Net)] ..	+२०,०१,	+१७,१९,
२—आकस्मिक निधि (Contingency Fund) ..	..	–३,
३—सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public Account (Net)] ..	–२,५६,	–१२,५२,
इस वर्ष में हुए सभी लेन-देन का शुद्ध फल (Net result of all transactions in the year) ..	–६८,	–१०,७५,
अंतिम शेष (Closing Balance) ..	१,६५,	४,९१,

५—गैर-मामूली प्राप्तियों में ५० लाख रुपये ज्यादा इसलिये आये कि केन्द्रीय सरकार ने लोकल विकास के लिये बतौर ग्रान्ट दिये। सेल्स टैक्स में ४५ लाख की प्राप्ति इसलिये अधिक हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के रू से दूसरे राज्यों के डीलर्स (Dealers) से सेल्स टैक्स वसूल करना जायज करार दिया। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इन्टरटेन्मेन्ट टैक्स और शूगर केन सेस (Sugarcane cess) तीनों से मिल कर २७ लाख रुपया अधिक वसूल हुआ। कागजात माल की तसही और आम वसूली अच्छी होने की वजह से लैण्ड रेवेन्यू की प्राप्ति में ४७ लाख की बढ़ोत्तरी हुई। फारेस्ट की आमदनी से भी ३३ लाख बढ़े। पंचायतों के इलेक्शनों के स्थगित होने के कारण मुतफर्रिक प्राप्तियों में ७० लाख की कमी हुई। कुछ ऐसी बातें हुईं जिनके कारण मुआवजे के बांड मुकाबिलतन कम दिये गये और रिहैबिलिटेशन (Rehabilitation) ग्रान्ट के बांड जारी ही नहीं हो सके और इसलिये क़र्जे की मद में ३ करोड़ ६६ लाख रुपये का खर्चा कम हुआ। लैण्ड रेवेन्यू की मद में ७२ लाख रुपये का खर्चा कम हुआ, यह इसलिये हुआ कि जिन जिलों में चकबन्दी का कार्य होना निश्चय हुआ था उनमें से चन्द में काम जारी नहीं हो सका और वक्फों (Waqfs) और ट्रस्टों (Trusts and Endowments) को जो सालाना देना था उनकी रक़मों का फैसला न होने की वजह से वह भी न दिया जा सका। क्योंकि चन्द नई सडकें या रूट्स के राष्ट्रीयकरण में कुछ अड़चनें आईं इसलिये गवर्नमेन्ट रोडवेज पर ५३ लाख रुपये का खर्चा कम हुआ। इन और दूसरे अन्तरों का नतीजा यह है कि १९५४–५५ में ६१ लाख रुपये का मामूली सरप्लस (Surplus) रहा।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

६—नीचे दिये हुये अंक (figures) चालू मालयाती साल के दोहराये हुए तखमीनों को संक्षेप में दिखाते हैं :—

	(लाख रुपयों में)	
	मूल बजट (Original budget)	दोहराये हुये तखमीने (Revised)
प्रारम्भिक शेष (Opening Balance) ..	१,४०,	४,९१,
१—संचित निधि (Consolidated Fund)—		
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Heads)—		
(१) प्राप्तियां (Receipts) ..	८४,५६,	८५,९७,
(२) व्यय (Charges) ..	९०,०६,	८५,९७,
	–५,५०,	..
(ख) पूंजी-व्यय (Capital Expenditure) ..	३२,७०,	२९,४४,
(ग) सार्वजनिक ऋणों से हुई शुद्ध प्राप्तियां (Net Receipts from Public Loans) ..	+६,००,	+९,४७,
(घ) दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other Debt and Deposit Heads (Net)] ..	+२२,३३,	+२२,२०,
२—आकस्मिक निधि (Contingency Fund) ..	..	+१,
३—सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public Account (Net)] ..	+९,३६,	–४,९९,
इस वर्ष के हुए सभी लेन-देन का शुद्ध फल (Net result of all transactions in the year) ..	–५१,	–२,७५,
अन्तिम शेष (Closing Balance) ..	८९,	२,१६,

७—जो रिबेट (Rebate) सिंचाई की शरहों में सरकार की ओर से दिया गया उसके कारण आबपाशी की आमदनी में गालिबन २०६ लाख की कमी हो जायगी। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई उनमें इल्तवा और छूट देने के कारण मालगुजारी की आमदनी में १२० लाख रुपये की कमी होने की सम्भावना है। इन्कम टैक्स से जितना रुपया मिलने का तखमीना किया गया था उससे ६२ लाख रुपया अधिक मिलने की आशा है और दूसरे टैक्सों और ड्यूटियों की मद से ४८ लाख की मालगुजारी के अनुदान में ३७ लाख रुपये कम खर्च होने की सम्भावना है। क्योंकि इस साल में मुआविजे के बांड कम जारी होने की सम्भावना है और जो किस्तें वाजिब हो गई थीं उनको भी लोगों ने अभी तक कम वसूल किया है, इसलिये कर्जे की मद में यह

सम्भावना है कि इसमें से २५८ लाख रुपये व्यय न हो सकेंगे। सिंचाई की प्राप्ति में कमी होने की वजह से १९५३ में स्वीकृत सिंचाई की बढ़ाई हुई शरहों से स्पेशल डेवलपमेन्ट फण्ड को ट्रान्सफर १६७ लाख रुपया कम होगा। इन तमाम कारणों और दूसरे अन्तरों की वजह से ५५० लाख रुपये का जो घाटा इस साल के बजट में था सम्भव है कि वह २६१ लाख रुपये रह जाय। इतना ही रुपया रेवेन्यू रिजर्व फंड से ट्रान्सफर करके घाटे की पूर्ति कर दी जायगी।

८—नीचे दी हुई तालिका (table) में बजट के तखमीने संक्षेप में दिखाये गये हैं :—

	(लाख रुपयों में)
प्रारम्भिक शेष (Opening Balance)	२,१६,
१—संचित निधि (Consolidated Fund)—	
(क) राजस्व शीर्षक (Revenue Head)—	
(१) प्राप्तियां (Receipts)	८५,३६,
(२) व्यय (Charges)	९४,९१,
	—९,५५,
(ख) पूंजी-व्यय (Capital Expenditure) ..	४२,९८,
(ग) सार्वजनिक ऋण से शुद्ध प्राप्तियां (Net Receipts from Public Loans) ..	+११,६५,
(घ) दूसरे ऋण और जमा शीर्षक (शुद्ध) [Other debt and deposit head (net)] ..	+२७,००,
२—आकस्मिक व्यय निधि (Contingency Fund) ..	..
३—सार्वजनिक लेखा (शुद्ध) [Public Account (Net)] ..	+१२,४०,
इस वर्ष में हुए सभी लेन-देन का शुद्ध फल (Net result of all transactions in the year)	—१,४८,
अंतिम शेष (Closing Balance)	+६८,

९—बजट वर्ष में गैर-मामूली प्राप्तियों, कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और एन० ई० एस० ब्लाक्स (N. E. S. Blocks) की प्राप्तियों में मिलकर ३६२ लाख रुपये ज्यादा आने की संभावना है क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना की स्कीमों के लिये केन्द्रीय सरकार से पहले से ज्यादा सब्सिडी (Subsidy) मिलने की उम्मीद है। इस आशा में कि बजट वर्ष (Budget year) में कोई विपदा नहीं पड़ेगी, मालगुजारी का तखमीना पिछले साल से १०२ लाख रुपये ज्यादा रखा गया है। लेकिन इस राज्य को जो इन्कमटैक्स का हिस्सा मिलना है इसमें और एग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स में मिला कर ३६ लाख रुपये की कमी की संभावना है और ४९ लाख रुपये की कमी की संभावना दूसरे टैक्सों और ड्यूटियों की मद में है। क्योंकि इस साल गांव सभाओं और पंचायतों के चुनाव हो चुकेंगे, इसलिये नामजदगियों के पर्चों वग़ैरह की बिक्री से कोई आमदनी होने वाली

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

नहीं है। इसलिये मुतफर्रिकात की मद में ७० लाख रुपये की कमी होगी। खर्चे में उन स्कीमों के खर्चे के कारण, जो पंचवर्षीय योजना में विकास के लिए रखी गयी है, शिक्षा विभाग में पिछले साल के मुकाबिले में २ करोड़ ६० लाख रुपया अधिक रखा गया है। इसी प्रकार इन्डस्ट्री में ११५ लाख रुपये चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य विभागों में १०६ लाख रुपये प्लानिंग, कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, एन० ई० एस० ब्लाक्स (N. E. S. Blocks) और लोकल डेवलपमेन्ट वर्क्स में १३० लाख रुपये इसी तरह पशुपालन में ४८ लाख रुपये और कोआपरेशन में ३७ लाख रुपये ज्यादा रखे गये हैं। ४३ लाख रुपये पुलिस के खर्चे में इसलिये ज्यादा रखे गये हैं कि अगले साल में अधिक पुलिस अस्थायी रूप से रखनी होगी। जो बातें बयान की गईं उनसे और दूसरे कारणों से बजट वर्ष में ९५५ लाख रुपये का घाटा रहेगा, जो ज्यादातर दूसरी पंचवर्षीय योजना के खर्चे के कारण होगा।

प्लानिंग

१०—अब मैं पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं का चर्चा करने वाला हूं मगर पहले यह बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में मौजूदा मुफलिसी को दूर करने के लिये जो विकास होता है उसको दर्जा ब दर्जा प्लानों के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि मुल्क की दौलत बढ़ानी है और मुफलिसी को दूर करना है, इसलिये आम मक़सद यह है कि जो काम हों उनके द्वारा यहां के रहने वालों की आमदनी बढ़े और सिर्फ यही नहीं कि आमदनी बढ़े बल्कि दौलत का वितरण न्याय-संगत हो ताकि आमदनी में जो नाबराबरी आज दिखाई देती है वह न रहे। उसी के साथ इसका भी लिहाज रखना है कि जो प्लान बनाया जाये उसमें आगे आने वाले समय की आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान दे लिया जाय ताकि आगे चल कर कोई दिक्कत सामने न आये और प्लान के हर साल के टार्गेट इसी प्रकार मुक़र्रर किये जायं कि जो काम रखे गये हैं वह पांच साल के अन्दर पूरे हो जायं। यह प्लान एक प्लानिंग कमीशन बनाता है जिसको केन्द्रीय सरकार ने स्थापित किया है। यह कमीशन हर एक राज्य और दूसरे ऐसे लोगों से, जिनसे मशविरा करना जरूरी होता है, मशविरा करता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना इस ढंग की बनाई गई है जिसको वास्तविक तौर पर जनता की योजना कहा जा सकता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको राज्य सरकार ही तजवीज कर सकती है जैसे किसी डैम का बनाना, मसलन रिहंद डैम और कुछ काम ऐसे हो सकते हैं कि जिनकी तजवीज गांव और जिलों से हो सकती है। इसी प्रकार एक प्लान दोनों ओर से कार्य आरम्भ होने से बनता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये उत्तर प्रदेश में दोनों तरफ से कार्य किया गया। गांव और डिस्ट्रिक्ट के भी प्लान बनवाये गये और सरकार की ओर से भी स्कीमें बनीं, इसीलिये अगर मैं यह कहता हूं कि यह योजना जनता की योजना है तो कोई मुबालगा नहीं करता, क्योंकि यह योजना कांग्रेस के अवदी प्रस्ताव के पास होने के बाद बनती है। इसीलिये इसमें काफी सामाजिक रंग है और हमको एक सोशलिस्ट समाज स्थापित करने में मदद देने वाली है।

पहली पंचवर्षीय योजना

११—सबको पहले से जानकारी है कि पहली पंचवर्षीय योजना में करने के लिये जो विशेष काम रक्खा गया था वह गल्लों की कमी का पूरा करना था। खुशी की बात है कि यह लक्ष्य प्राप्त हो गया और उत्तर प्रदेश में केवल इतना ही नहीं कि कमी पूरी हो गई बल्कि जो टार्गेट रक्खा गया था उससे भी अधिक पैदावार मिलने का प्रबन्ध हो गया। इस योजना के आरम्भ के समय उत्तर प्रदेश में अनाजों की पैदावार ७.८४ मिलियन टन थी और टार्गेट यह रक्खा गया था कि यह बढ़कर ८.८२ मिलियन टन हो जाये, परन्तु इसके बजाय यह सन् १९५६ के अन्त तक १२.४५ मिलियन टन तक पहुंच रही

है, गोया टार्गेट से ३·६३ मिलियन टन अधिक। अब उत्तर प्रदेश इस योग्य हो गया कि गल्ले के मामले में दूसरों की भी मदद कर सके, चुनांचे यहां से गेहूं और चावल देश के दूसरे-दूसरे भागों को भेजे गये।

इसके अतिरिक्त इस प्लान में सिंचाई और बिजली बढ़ाई गई। शिक्षा फैलाई गई, उद्योग-धन्धों में उन्नति की गई। हरिजन सुधार के कार्य किये गये। पशु-पालन और चिकित्सा से सम्बन्धित काम किये गये और इनके अलावा और बहुत से कार्य ऐसे किये गये जिनके कारण बहुत विकास हुआ जिसका चर्चा सरकारी महकमों के बयान में किया जायगा। इस योजना पर ५ साल में उत्तर प्रदेश का एक अरब छियासठ करोड़ रुपया व्यय हुआ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

१२—दूसरी पंचवर्षीय योजना का विशेष लक्ष्य यह रखा गया है कि इसक द्वारा देश में इण्डस्ट्री बढ़े, बेरोजगारी दूर हो और कुल देश की आमदनी में २५ फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी हो। इसलिये उत्तर प्रदेश ने इण्डस्ट्री के सम्बन्ध में अपने प्लान में कितनी ही बातें रखी हैं, जैसे जो धंधे पहले से हैं उनकी स्थिति को ठीक करना, मार्केटिंग का प्रबन्ध करना, नई इण्डस्ट्री स्थापित करना और कराना और दूसरे ऐसे कार्य करना जिनसे प्रदेश में हो सके तो १३ लाख आदमियों को रोजगार मिले और उनके अतिरिक्त और ऐसे काम, करना जिनसे आवश्यक पैदावारें बढ़ें और प्रदेश की दौलत में तरक्की हो। पांच साल में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर २४८ करोड़ रुपये व्यय होंगे, जिनमें से १७ करोड़ रुपये इण्डस्ट्री पर खर्च करने के लिये रक्खे गये हैं।

बजट वर्ष में इस योजना पर खर्च करने के लिये ४४.६६ करोड़ रुपय रक्खे गये हैं जिनमें से ११.४३ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश को अपने पास से व्यय करने हैं और बाक़ी केन्द्रीय सरकार से मिलने वाले हैं।

इस योजना के जो कार्य बजट वर्ष में होने वाले हैं उनकी चर्चा भिन्न-भिन्न विभागों के ज़िक्र में की गई है।

पब्लिसिटी

१३—हर नागरिक के लिये हमारे प्लान का एक पैग़ाम है और हर शख्स को इसके लिए कुछ न कुछ करना है। अगर हम चाहते हैं कि इस देश के हर बसने वाले की पूरी सहायता इस प्लान को सफल बनाने के लिए प्राप्त हो तो यह आवश्यक है कि हर शख्स उसके मक़सद को जाने और समझे। इस बात को सामने रखते हुए राज्य सरकार ने पब्लिसिटी का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसके अनुसार जगह-जगह इन्फ़ार्मेशन-केन्द्र खोले हैं। इस प्रोग्राम में पब्लिसिटी लिट्रेचर, फिल्म, Audio-Visual Aids, मोबाइल, गाड़ियों का आर्गेनाइजेशन, प्रदर्शिनियां, रेडियो-सेट, किताबें और रिसाले इकट्ठे करना सम्मिलित है। १७० इन्फ़ार्मेशन-केन्द्र इस वक्त तक क़ायम हो चुके हैं। यह केन्द्र जिलों के सदर मुकामात पर और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स व एन० ई० एस० ब्लाक्स के हेड-क्वार्टर्स पर हैं। बजट वर्ष में फ़िल्म तैयार करने का एक यूनिट क़ायम करना भी तजवीज़ हुआ है और लखनऊ में एक मुस्तक़िल डेवलपमेंट एक्जीबीशन स्थापित किये जाने की स्कीम अंतिम रूप धारण कर चुकी है। बढ़ती हुई जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए फ़ील्ड पब्लिसिटी आर्गेनाइजेशन का उचित पुनस्संगठन भी किया गया है।

औद्योगिक विकास

१४—अब से पहले यह बात सबको मालूम हो चुकी है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर इन्डस्ट्री और रोजगार पैदा करने पर दिया जायेगा। यू० पी० के प्लान में इन्डस्ट्री के सिलसिले में खर्च करने के लिये क़रीब १७ करोड़ रुपये रखे गये हैं जिनमें

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

से एक करोड़ रुपया इन्डस्ट्रियल स्टेट्स पर व्यय किये जायंगे। इन स्टेट्स का तजुर्बा यूनाईटेड किंगडम में चूंकि सफल हो चुका है, इसलिये यह समझा गया कि इस राज्य में भी इसको जारी किया जाय। इन्डस्ट्रियल स्टेट्स में वर्कशाप वगैरह बना कर छोटे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को किराये पर दिये जायेंगे। इसके अलावा वहां पर बिजली, पानी, गैस, ड्रेनेज वगैरह का इन्तजाम होगा। एक करोड़ रुपया उन शुगर फैक्टरीज को दिया जायगा जो कोआपरेटिव सिस्टम पर स्थापित होंगी, बाक़ी १५ करोड़ रुपये में से ९ करोड़ ७६ लाख रुपये 'स्माल स्केल' और 'विलेज इन्डस्ट्रीज' पर और ५ १/२ करोड़ रुपये हैवी (Heavy) इन्डस्ट्रीज पर खर्च होंगे। ये हैवी (Heavy) इन्डस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर की होंगी। जो कार्य इस राज्य में बड़े-छोटे उद्योग-धंधों द्वारा करने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है उससे १० लाख आदमियों को रोजगार मिलेगा।

जहां तक छोटे उद्योग-धंधों का ताल्लुक़ है, उनकी उन्नति के लिये इस राज्य में पहली पंचवर्षीय योजना में बहुत सा कार्य हो चुका है, जिसकी चर्चा मैंने अपनी चालू वर्ष की बजट स्पीच में किया था और यह बताया था कि कितने नये उद्योग-धंधे इस प्रदेश में चन्द साल के अन्दर चालू करा दिये गये हैं। उनमें से चन्द ये हैं—हरीकेन लालटेन, रेगमाल, बटन, कार्बन पेपर, ट्यूबवेल के सामान, खेलों के सामान, ऐल्मोनियम की चीजें, टुथब्रुश, छापने की रोशनाई, लकड़ी के पेंच, टार्च, वेट वैटरीज, सर्वे के औजार, वार्निश, शफाखाने में इस्तेमाल होने वाली चीजें, पेन्ट, सोने के तार और दूसरे प्रकार के 'केमिकल्स' जैसे सोडियम सल्फाइड और सोडियम सिलीकेट। इनके अतिरिक्त काटन टेक्सटाइल्स, दफ्ती या स्ट्रा-बोर्ड, प्लाईवुड, रबर और चमड़ों के बैल्ट, तेल निकालने की मशीनें, कोल्हू, आटे की चक्की, कोल्ड-स्टोरेज, फ्रूट प्रिजर्वेशन, अंग्रेजी दवासाजी, एशन्शल आयल, नल और सेनट्री फिटिंग्स, रेडियो-असम्बलेज (assemblage), फाउन्टेनपेन के पुर्जे, कनफेक्शनरी, बिजली की चीजें, एलेक्ट्रोप्लेटिंग और वेल्डिंग आदि की ओर भी ध्यान दिया गया। इन सब में जितनी बढ़ोत्तरी हुई उसके फलस्वरूप रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों की संख्या ९७१ से बढ़कर १,७४३ हो गई।

सरकार ने यह भी देखा कि छोटे उद्योग-धंधों के रास्ते में क्या रुकावटें हैं। यह पाया गया कि बनाने का खर्चा भी कुछ ज्यादा होता है और बिक्री भी इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिये। खरीदार देशी चीजों को पसन्द भी कम करता है और खुद इन कामों को करने वालों के पास पैसे की कमी भी है और इनको ठीक-ठीक जानकारी भी प्राप्त नहीं। इन सब बातों को दूर करने के सरकार ने प्रबन्ध किये और ऐसी योजनायें जारी कीं जिनके द्वारा यह कमी पूरी हो और इसके साथ इसकी भी कोशिश पहली पंचवर्षीय योजना ही के दौरान में की कि उत्तर प्रदेश की काटेज और छोटी इन्डस्ट्रीज की बनाई हुई चीजें बाहर के देशों को जा सकें—चुनांचे ऐसा किया गया। जाहिर है कि एक आर्गनाइजेशन ही के जरिये ऐसा हो सकता था—चुनांचे हैंडलूम से कपड़ा बनाने वालों की प्रोडक्शन सोसाइटियां, रंगाईघर और बिक्रीघर स्थापित कराये गये और क्वालिटी मार्किंग योजना जारी की गयी ताकि हाथ से कपड़ा बुनने वालों, छीपियों, जूते बनाने वालों, ताले बनाने वालों, खेलों के सामान बनाने वालों और रेशम की चीजों के बनाने वालों के काम आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त ड्राइंग और सर्वे के यंत्र बनाने के काम को भी सहायता पहुंचाई गई। जितनी भी योजनायें इन मकसदों को हासिल करने के लिये चालू की गईं उन सभी को सफलता मिली और उनके रास्ते में जो कठिनाइयां थीं वे दूर हुईं। इस सबका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के बने हुए सामान और चीजें बाहर के देशों को ज्यादा जाने लगीं—विशेषकर जूट के थैले, कमाया हुआ चमड़ा,

बनारस और टांडे के रेशम, फर्रुखाबाद, लखनऊ और मथुरा के छपे हुए कपड़े, ताले, कैंचियां, खेलों के सामान, चूड़ियां, जूते, साइकिल और साइकिलों के पुर्ज़े, पीतल के बर्तन और हाथ का बुना हुआ कपड़ा वग़ैरह ।

छोटे उद्योग-धंधों की चर्चा समाप्त करने से पहले मुझको चाहिये कि यह और बतला दूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के ज़माने में चैफकटर, नाइव्ज़, हैंडटूल्स, अम्ब्रेला पार्ट्स, सूटकेस, फिटिंग्ज़, मिकेनिकल टायज जैसी नई चीज़ें बनानी आरम्भ की जायेंगी। फिरोज़ाबाद में जो लोग चूड़ियां बनाते हैं वे पिघलाने के काम में कोयला और मिट्टी के तेल का इस्तेमाल करते हैं जो तन्दुरुस्ती के लिए बहुत नुक्सानदेह है। इसलिये सरकार ने यह तजवीज़ की है कि फिरोज़ाबाद में एक गैस प्लान्ट लगाया जाय जिससे कोयला और मिट्टी के तेल के इस्तेमाल की भी आवश्यकता न रहे और जो माल तैयार हो वह अब से बेहतर क्वालिटी का हो। सरकार यह योजना भी चालू कर रही है कि एक ऐसा केन्द्र स्थापित किया जाय जहां हैंडीक्रैफ्ट्स इन्डस्ट्री के लिये नये डिज़ाइन तैयार कराये जायें।

बड़े उद्योग––उत्तर प्रदेश में एक सीमेन्ट फैक्ट्री और एक प्रेसिज़न इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई। ये दोनों अपना काम बढ़ा रही हैं। एक से सीमेन्ट बन रहा है जो मुख़्तलिफ़ जगहों को भेजा जाता है। उम्मीद है कि अगले वर्ष में यह फैक्ट्री अपना पूरा उत्पादन कर सकेगी और इसकी पैदावार की शक्ति दूसरी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की सरकार दो करोड़ के ख़र्चे से दुगुनी करने वाली है। प्रेसिजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्टरी इस वक्त एक हज़ार वाटर-मीटर माहवार बना रही है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना ही में बनने वाले मीटरों की तादाद को तीन हज़ार तक पहुंचाना है। ये दो बड़ी इन्डस्ट्रीज तो यहां पहले से स्थापित हैं और अब पब्लिक सेक्टर द्वारा जिस बेसिक इन्डस्ट्री का प्रबन्ध हो रहा है उसमें से दो-एक के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार से कोशिश कर रही है कि यहां स्थापित हो जांय और इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में नए उद्योग स्थापित करने का ऐसा विचार हो रहा है कि यहां रेयान (Rayon), सोडा ऐश, टेक्सटाइल, मशीनरी, पार्ट्स और रेलवे वैगन के कारखाने कायम हो जांय।

उत्तर प्रदेश की सरकार इस गरज से कि यू० पी० में नई इन्डस्ट्री लोग स्थापित करें, इस बात की घोषणा कर चुकी है कि बिजली की कीमत में ऐसी इन्डस्ट्री के लिये जो यू० पी० के लिये नई हो और नेशनल फायदे की हो २५% छूट देगी। सरकार चाहती है कि इस राज्य की माली खुशहाली के लिये जितनी इन्डस्ट्रियां भी यहां कायम करायी जा सकती हों वह क़ायम कराई जांय।

इन्डस्ट्री के सिलसिले में दो बात कहनी और बाक़ी हैं––एक तो माली सहायता के सम्बन्ध में है और दूसरी खानों के मुताल्लिक़। जो लोग उद्योग-धंधों में लगना चाहते हैं उनको अक्सर पैसे की ज़रूरत होती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहां एक फाइनेंशल कार्पोरेशन कायम कर रखा है ताकि छोटे और औसत उद्योगों को आर्थिक सहायता मिल सके। अब तक यह कार्पोरेशन कई उद्योगों के लिए ऋण दे चुका है और इसके अतिरिक्त ग्रान्ट की शक्ल में भी सरकार हर साल स्वीकृत और लाइसेंसयाफ्ता उद्योग-धंधों के लिये सहायता देती है। इस प्रकार सरकार ग्रान्ट और कर्जा दोनों से ऐसे लोगों की मदद करने के लिये तैयार है।

दूसरी बात यह है कि खानों से बड़ी दौलत पैदा होती है। उत्तर प्रदेश में बाक़ायदा कभी कोई तहक़ीक़ात नहीं हुई कि यहां कोई खाने हैं या नहीं और अगर हैं तो किस चीज़ की। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने जिआलोजिकल सर्वे का भी प्रबन्ध किया। जिआलोजिकल सर्वे आफ़ इण्डिया की सहायता से कार्य करने के लिये यू० पी० सरकार ने भी एक डाइरेक्टोरेट आफ़ जिआलोजिकल सर्वे ऐण्ड माईनिंग स्थापित किया है जिसकी पार्टियां गढ़वाल, अल्मोड़ा और देहरादून के ज़िलों में जिप्सम, लोहे और तांबे के सम्बन्ध में

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

तहकीक़ात कर रही हैं और मिर्जापुर के जिले में साफ़ चूने के पत्थर, कोरन्डम, सिलीमेनाइट की खोज लगा रही है। इलाहाबाद के जिले में शीशे के रेत की तलाश हो रही है।

इन्डस्ट्री के लिये कई प्रकार के टेक्निकल आदमियों की बहुत आवश्यकता होती है। इसका भी सरकार ने उचित प्रबन्ध किया है, जिसकी चर्चा इस स्पीच में दूसरी जगह की गयी है।

लेबर वेलफेयर

१५—इन्डस्ट्री के लिये लेबर बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार मजदूरों के रहन-सहन का सुधार करने की आवश्यकता की ओर हमेशा सचेत रही है। समय-समय पर सरकार ने ऐसे कानून बनाये हैं जिनसे मिल-मालिकों के तरीकों में अच्छी तब्दीली हो और साथ ही साथ मजदूरों के अधिकारों की भी रक्षा हो सके और उनमें उन्नति की जा सके।

इन कानूनों ने मजदूरों के लिये समझौता कराने वाली एक संस्था बनाई जो मजदूरों की शिकायतों को दूर करा सके। यह इसलिये किया गया कि मजदूर का संतुष्ट होना बढ़ती हुई पैदावार के लिये विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में बहुत आवश्यक है और इसलिये मजदूर को काफी सुविधायें भी पहुंचाना जरूरी है। उनको चुस्ती और शौक से काम करने में सहायता देने के लिये सरकार ने बहुत सी स्कीमें चलाईं जिनमें से एक स्कीम शक्कर के मिलों के मजदूरों के लिये मकान बनाने की रखी गई। एक फण्ड सरकार ने इस काम के लिये शीरे की बिक्री से आने वाले रुपये से निकाला है। जब मैं हाउसिंग के विषय को आपके सामने रखूंगा तो तफसील से बताऊंगा कि इस स्कीम द्वारा मकान बनाने के लिये क्या सुविधायें रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र के मजदूरों के लिये इस राज्य में और सुविधायें रखी गई हैं जैसे जब छोटे बच्चों की माताएं काम पर गई हुई हों तो उन बच्चों को संभालने की संस्थायें और रोजगार के सिलसिले में मजदूरों को राय देने के लिये सर्विस आदि।

सरकार की इस बात पर कड़ी नजर रही है कि मजदूर को उसकी मेहनत की पूरी उजरत मिले और इसलिये उजरत को रहन-सहन के खर्चे से संबंधित किया जाय, क्योंकि यह इस सरकार की कामना है कि मजदूर फले-फूले और उसका जीवन-स्तर और नागरिकों के बराबर हो।

वेलफेयर सेन्टर्स जो सन् १९४६ में तीस थे, चालू वर्ष में चौरा, जिला झांसी में हाल के खुले हुये सेन्टर को मिला कर पैंतालीस हो जायंगे। इन सेन्टरों में जो भिन्न-भिन्न इन्डस्ट्रियल जगहों में स्थापित हैं, रेडियो, गाना-बजाना, नाटक, सिनेमा दिखाने का प्रबन्ध है। इनमें कुछ और काम की चीजें भी रखी गयी हैं जैसे कि औरतों को सिलाई का काम सिखाना और स्काउटिंग। इनमें मेडिकल डिस्पेन्सरीज भी हैं और ये जच्चा-बच्चा की देखभाल का भी काम करते हैं। कानपुर में सरकार ने जो टी० बी० क्लीनिक खोला है उसमें सौ रुपये या उससे कम उजरत पाने वाले मजदूरों का इलाज मुफ्त किया जाता है। कानपुर में इम्प्लाइज स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम भी लागू है जो वहां मजदूरों की बड़ी भारी संख्या को फायदा पहुंचा रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार यह इन्श्योरेन्स स्कीम ऐसे चौदह अन्य शहरों में चालू हो जायेगी जहां एक हजार से ज्यादा औद्योगिक मजदूर रहते हों। बजट वर्ष में यह स्कीम मोदीनगर, बनारस, इलाहाबाद में चालू हो जायेगी।

जहां तक कि इन्डस्ट्रियल हाउसिंग का ताल्लुक है यह राज्य इस समस्या के सुलझाने में बहुत आगे रहा है और मैं इनका वर्णन आगे करूंगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की मुद्दत में लेबर वेलफेयर का काम बहुत ज्यादा बढ़ाया जायेगा। दस 'ए' क्लास के, दस 'बी' क्लास के और छः 'सी' क्लास के नये लेबर वेलफेयर सेन्टर खोले जायेंगे। एक टी० बी० सेनीटोरियम और कानपुर में एक और टी० बी० क्लिनिक स्थापित होंगे। सरकारी १७ लेबर वेलफेयर सेन्टरों की इमारतें बनेंगी। इस वक्त जो लेबर वेलफेयर सेन्टर हैं उनको और बढ़ाया जायेगा और तीन ऐसी संस्थायें खुलेंगी जहां मजदूरों के बच्चों को जब उनकी माताएं काम पर हों संभाला जाये। बजट वर्ष में इन स्कीमों पर काम शुरू करने के अतिरिक्त फैक्ट्री इन्सपेक्टर के इस्तेमाल के लिये एक इन्डस्ट्रियल म्युजियम स्थापित किया जायेगा और इन्सपेक्ट्रेट के तीन अलग-अलग डिवीजन क़ायम होंगे। वित्त वर्ष में एक ऐसा इन्सपेक्टर भी मुकर्रर किया जायगा कि जो यह देखे कि प्लानटेशन लेबर ऐक्ट, सन् १९५१ ठीक तौर पर लागू किया जा रहा है या नहीं। ब्वायलर इन्सपेक्ट्रेट के हेड क्वार्टर्स पर एक इन्जीनियर इस काम के लिये मुस्तकिल रखा जायगा कि वह स्टीम प्लान्ट में स्टीम पैदा होने का काम किफायत और होशियारी से कराये। मिनिमम वेजेज ऐक्ट (Minimum Wages Act) कुछ और जिलों और रोजगारों पर लागू किया जायेगा।

हाउसिंग

१६—राज्य सरकार ने जहां और कामों की ओर ध्यान दिया है वहां लोगों के रहने के लिये मकानों का प्रबन्ध करने में भी काफ़ी प्रयत्न किया है। बहुत-सी कठिनाइयों के होते हुये भी उत्तर प्रदेश ने इस विषय में बड़ी उन्नति की है। प्राइवेट सेक्टर में जो कुछ कार्य मकान बनाने में किया गया उसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने तथा म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। सन् १९४७ से अब तक शरणार्थियों को बसाने के लिये सरकार और लोकल बाडीज ने मिल कर बहुत से बाजार और नगरियां क़ायम की हैं और इमारतें बनाई हैं।

मिलों में काम करने वालों के लिये मकान बनाने में उत्तर प्रदेश न सिर्फ़ किसी से पीछे नहीं रहा, बल्कि इसका नम्बर अव्वल रहा है। मार्च सन् १९५६ तक इनकी संख्या बीस हजार नौ सौ चार हो जायेगी। शक्कर की मिलों में काम करने वालों के लिये पिछले तीन साल में चौबीस लाख रुपये की लागत के मकानात बनाये गये हैं। एक और स्कीम भी चालू की गई है, जिसके अनुसार पच्चीस लाख रुपये की लागत से राज्य के आठ शहरों में मध्यम दर्जे की आमदनी रखने वालों के लिये तीन सौ मकानात बनाये गये हैं। गवर्नमेंट सीमेन्ट फैक्ट्री, चुर्क से सम्बन्धित 'इन्डस्ट्रियल कालोनी' के लिये ६ लाख रु० की क़ीमत के क्वार्टर बनाये जा चुके हैं। म्युनिसिपैलिटी के मेहतरों के लिये मकान बनाने की ओर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है और चालू वर्ष के अन्त तक इसकी आशा की जाती है कि दो हजार एक सौ पचास मकान बन जायेंगे और इस तरह कुल संख्या तीन हजार दो सौ साठ हो जायेगी। केन्द्रीय सरकार की कम आमदनी वाले ग्रुप के लिये मकान बनाने की स्कीम के अनुसार उम्मीद की जाती है कि चालू योजना की मुद्दत में यानी मार्च, १९५६ तक चार हजार पांच सौ मकान बन जायंगे। गांवों में हरिजनों के लिये मकान बनाने की स्कीम भी चालू कर दी गई है।

मैंने अब तक उन कामों का चर्चा किया है जो मकान बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने किये हैं या चालू वर्ष के अन्त तक किये जायेंगे। अब मैं कुछ शब्दों में दूसरी पंचवर्षीय योजना में मकान बनाये जाने के लिये जो स्कीमें रखी गई हैं उनका जिक्र करूंगा। मिल मजदूरों के लिये पांच करोड़ इकसठ लाख रुपये की लागत से सत्तरह हजार पांच सौ पचास मकान और बनाये जायेंगे और इस तरह पहले प्लान में जो काम हुआ है उसको शामिल करके इस राज्य के मिलों में काम करने वालों की बीस प्रतिशत आबादी

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

के लिये मकानों का प्रबन्ध हो जायगा। 'लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम' के अनुसार चार करोड़ तिरासी लाख पचपन हजार रुपया दूसरी पंचवर्षीय योजना में व्यय करने के लिये रखा गया है जिससे पांच हजार छः सौ पचहत्तर मकान और बन जायेंगे।

बेकारी

१७—बेकारी समाज के लिये खतरनाक चीज है और उसको पूरी कूवत के साथ खोना चाहिये। इस राज्य की सरकार उसको खोने की सख्त जरूरत से पूरे तौर पर आगाह है। उसके बारे में आंकड़े अच्छा नक्शा खींचते हों या बुरा, यह सरकार का निश्चय है कि उसको जड़ से खोदने पर वह अपना पूरा जोर लगा दे। यहां मैं उसकी हालत का जायज आंकड़ों के जानने वालों की बताई हुई संख्याओं की रोशनी में लिया चाहता हूं।

सन् १९५४-५५ में रूरल सेक्टर में हमारे मर्द मजदूर ३५ प्रतिशत तक पूरे तौर पर काम पाये हुये थे और उनके कामों के दिनों में काम के वक्त का औसत ८ घंटे था। ऐसे मर्द मजदूर जिनके पास काम बिल्कुल नहीं था सिर्फ ३ प्रतिशत थे जब कि करीब ६० प्रतिशत के पास कम काम था लेकिन फिर भी उन लोगों के पास इतना काम था कि काम के दिनों में पांच या छः घंटे रोज काम पर लगे रहें। हां, भिन्न-भिन्न मौसमों में यह हालत बदलती रहती है। Statistics विभाग के अव्वल अन्दाजे के अनुसार शहरी हल्कों में ७२ प्रतिशत मर्दों के पास पूरा काम है। जिनके पास बिलकुल काम नहीं वे करीब ११ प्रतिशत हैं और जिनके पास कम काम है वे १७ प्रतिशत हैं। शहरी हल्कों में हमारे मर्द मजदूरों में दर असल सिर्फ ७ प्रतिशत ऐसे हैं जो काम ढूंढ़ रहे हैं। उन लोगों में से जो काम की तलाश में हैं १४ प्रतिशत वे हैं जो ६ महीने से कम से काम ढूंढ़ रहे हैं, २९ प्रतिशत वे हैं जो ६ महीने से लेकर १२ महीने से काम ढूंढ़ रहे हैं और ४३ प्रतिशत वे हैं जो एक साल से अधिक से काम की तलाश में हैं। शहरी हल्कों में बेकार लोगों में से ३० प्रतिशत पढ़े-लिखे हैं, १४ प्रतिशत टेक्निकल काम जानते हैं और शेष ५६ प्रतिशत वे हैं जो न पढ़े-लिखे हैं और न टेक्निकल काम से वाकिफ़ हैं। जैसा मैं इस तकरीर में किसी और जगह कह चुका हूं, दूसरी पंचवर्षीय योजना में बेकारी के मसले को बहुत आवश्यक समझा गया है और जहां तक इस राज्य का ताल्लुक है उसकी योजना की भिन्न-भिन्न स्कीमों द्वारा यह आशा है कि पब्लिक सेक्टर में लगभग ३ १/२ लाख आदमियों को रोजगार मिलेगा और इसके अतिरिक्त उद्योग-धंधों से जो रोजगार मिलने वाला है इस स्टेज पर उसका कोई ठीक अन्दाजा करना मुश्किल है। इतना जरूर कहा जा सकता है कि उससे भी बहुत से आदमियों को रोजगार मिलेगा जिसकी संख्या आगे चल कर मालूम हो सकेगी।

शिक्षा

१८—सोशलिस्ट समाज में जितने काम होते हैं उनके करने में सबको सम्मिलित समझा जाता है, इसलिये इसकी जरूरत है कि ऐसे समाज में शिक्षा अच्छी दी जाये। इसलिये राज्य सरकार ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया है जिसका परिणाम यह है कि हर प्रकार की शिक्षा का खर्चा पहले से ज्यादा रक्खा गया है। आम शिक्षा का खर्चा बजट वर्ष के लिए बारह करोड़ रुपये से अधिक है जो उस खर्चे से जो सन् १९४६-४७ में रक्खा गया था एक सौ साठ प्रतिशत ज्यादा है।

इन दस वर्षों के अन्दर प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में तेजी के साथ बढ़ोत्तरी हुई है। सन् १९४६ और ४७ में बीस हजार अड़तालीस प्रारम्भिक स्कूल थे, जो बढ़ कर अब इकतीस हजार छः सौ उन्नीस हो गये हैं और जूनियर हाई स्कूल एक हजार आठ सौ पचास

से बढ़ कर तीन हजार तीन सौ उन्नीस हो गये हैं। सन् १९४६–४७ में तीन सौ तिहत्तर हाई स्कूल और एक सौ तैंतीस इन्टरमीडिएट कालेज थे जिनकी जगह अब सोलह सौ हायर-सेकेन्डरी स्कूल हो गये हैं और डिग्री कालेज का यह है कि सन् १९४६–४७ में १६ थे तो आज ६६ हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में देहाती रकबे में पांच हजार प्रारम्भिक स्कूल नये खोले जायेंगे और दस हजार स्कूलों की इमारतें ठीक की जायेंगी। पांच सौ जूनियर स्कूल नए खुलेंगे और एक हजार एक सौ तेरह स्कूलों में दस्तकारियां सिखलाने का प्रबन्ध होगा, और दो सौ स्कूलों में खेती सिखाने का। इस योजना-काल में दो नई यूनिवर्सिटियां भी स्थापित की जायेंगी, एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी और दूसरी बनारस में संस्कृत यूनिवर्सिटी खोली जायेंगी। दूसरी योजना में उसके अतिरिक्त जो पहले से खर्चा होता आ रहा है बाइस करोड़ पच्चासी लाख रुपया अधिक शिक्षा पर व्यय किया जायेगा।

इस पर भी जोर दिया जायेगा कि शिक्षा अच्छी हो। इसका भी ख्याल रक्खा गया है कि टीचरों को कुछ सुविधायें दी जायें और तनख्वाहों के बकाया के अदा होने का भी प्रबन्ध हो और सेकेन्ड्री स्कूलों के टीचरों की तनख्वाहों के स्केल में जो सालाना बढ़ोत्तरी होती है उसको भी पचास प्रतिशत के हिसाब से राज्य-सरकार अपने जिम्मे ले। अब भी गवर्नमेंट इस बढ़ोत्तरी का एक-तिहाई देती है। प्लान में इस पर खास जोर दिया गया है कि टीचरों को जो ट्रेनिंग दी जाय उसकी क्वालिटी अच्छी हो। पेशे की ऊंची ट्रेनिंग के लिये सेन्ट्रल पैडागाजिकल-इन्स्टीट्यूट, कन्स्ट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज और वह ट्रेनिंग कालेज जिसमें बेसिक शिक्षा के टीचरों को ट्रेनिंग दी जाती है, इन सबको बढ़ाना निश्चय किया गया है। इसका भी प्रबन्ध रक्खा गया है कि टीचरों को अपनी जगह पर काम करते हुए भी ट्रेनिंग दी जाये। कई योजनाएं इस प्लान में ऐसी भी हैं जो कृषि की उन्नति करने वाली और विद्यार्थियों में नागरिकता का भाव पैदा करने वाली हैं।

अगले साल के बजट में शामिल की गई दो मदों की विशेष चर्चा की जा सकती है। प्राइमरी शिक्षा मुफ्त दी जावे, इस सम्बन्ध में पहला कदम उठाने के लिये यह तजवीज है कि प्राइमरी दर्जों में ली जाने वाली फीस में ५० प्रतिशत की कमी कर दी जाय और इसके लिये बजट में १५ लाख रुपये का recurring provision रखा गया है। यह भी तजवीज किया गया है कि उन सरकारी नौकरों के बच्चों की फीस, जिनकी माहवारी तनख्वाह १०० रु० से कम है, ग्यारहवें और बारहवें दर्जे में आधी मुआफ हो और इसके लिये बजट में १.९५ लाख रुपये का recurring provision किया गया है।

इन्जीनियरिंग ट्रेनिंग—इस राज्य में चारों तरफ़ जो विकास हो रहा है उसके कारण इन्जीनियरों और दूसरे काम सीखे हुए आदमियों की जरूरत बढ़ गई है। इसी आवश्यकता को पूरा करने की ओर सब से पहला कदम उत्तर प्रदेश की सरकार ने नवम्बर सन् १९४९ में उठाया, जब थामसन इन्जीनियरिंग कालेज, रुड़की को यूनिवर्सिटी बनाया गया उस समय के मुक़ाबले में आज उस यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा दाखिले होते हैं। इस यूनिवर्सिटी में मास्टर आफ़ इन्जीनियरिंग की डिग्री के लिए भी छः कोर्स खोले गये हैं और १८ मसलों पर यूनिवर्सिटी का स्टाफ़ रिसर्च कर रहा है जिसके साथ वह लोग भी लगे हुए हैं जो वहां खासतौर पर रिसर्च का काम करते हैं। जो इन्जीनियर मुलाजिमतों में हैं उनके फ़ायदे के लिये रिफ्रेशर्स कोर्सेज (Refreshers Courses) भी यूनिवर्सिटी में जारी किये गये हैं। चालू वर्ष के अन्दर लोग इन courses में शरीक होने लगेंगे। यूनिवर्सिटी में एक Water Resources Development Training Centre भी स्थापित किया गया है जिसमें इन्जीनियरों को वाटर-रिसोर्सेज डेवलपमेंट (Water Resources Development) की विशेष ट्रेनिंग दी जायेगी। पंचवर्षीय योजना में यह भी रक्खा गया है कि आर्किटेक्चर (Architecture) का और एक-दो अन्य कोर्स भी खोले जायं। आठ और पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स खोले जायेंगे, और

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

रिसर्च और ट्रेनिंग पर खास जोर दिया जायेगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस यूनिवर्सिटी में और काम करने के लिये लगभग एक करोड़ रुपया रक्खा गया है जिसमें से क़रीब २६ लाख रुपया बजट वर्ष में व्यय किया जायेगा।

जहां रुड़की यूनिवर्सिटी में बढ़ाव और विकास किया जा रहा है वहां उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे इन्जीनियरिंग शिक्षाओं की ओर भी ध्यान दिया। चुनांचे लखनऊ के डेवेट और सिविल इन्जीनियरिंग स्कूलों को इमदाद दी गई। उनको रुपये की सहायता दी और उनमें सुधार कराया और जितने विद्यार्थी उनमें पढ़ते थे उनकी संख्या बढ़वाई, इन्हीं स्कूलों में एक और नौ महीने की ट्रेनिंग जारी की गई, जो केन्द्रीय सरकार की स्कीम के अनुसार थी। चालू वित्तीय वर्ष में हाथरस में एक टेक्निकल इन्स्टीट्यूट स्थापित हुआ जो मुरलीधर-गजानन्द नाम से है जिसमें सर्वेअर और कम्प्यूटर ट्रेन किये जाते हैं। दो साल की ट्रेनिंग है और एक सौ पचीस विद्यार्थी इसमें भर्ती होते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन्जीनियरिंग शिक्षा को और बढ़ाने का प्रबन्ध भी रक्खा गया है।

इन्डस्ट्रियल और पेशों की ट्रेनिंग—उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन्डस्ट्रियल और पेशों की ट्रेनिंग का भी इन्तजाम किया। इस वक्त सत्ताइस गवर्नमेन्ट संस्थाएं हैं जिसमें चौदह पोलीटेक्नीक हैं और पचास सरकार से सहायता पाने वाले हैं। इन सबों में टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। आठ इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग केन्द्र ऐसे हैं जो भिन्न-भिन्न पेशों और तिजारतों की ट्रेनिंग देते हैं जिनमें एक हजार आठ सौ विद्यार्थी सीखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में टेक्निकल शिक्षा में बहुत विकास और सुधार रक्खा गया है जो स्कीमें इसके लिये रक्खी गई हैं उनका खर्चा ढ़ाई करोड़ रुपये से अधिक है। बजट में सालवार जो रुपया रक्खा जाता था उसके अतिरिक्त एक करोड़ ९३ हजार ६ सौ अधिक बजट वर्ष में उन योजनाओं के लिये रक्खा गया है जो इस प्लान की हैं। टेक्निकल और इन्डस्ट्रियल स्कूलों के सुधार और नए स्कूल स्थापित करने का इन्तजाम भी इस योजना में है। हारकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर को बढ़ाने के लिये भी रुपया रक्खा गया है। लखनऊ के और गोरखपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल इन्स्टीट्यूट में एलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल शिक्षा का इन्तजाम कर दिया गया है और ऐसा ही एक और इन्स्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में किसी जगह खोलने का इरादा है। तीन हाई स्कूल (टेक्निकल) इसके अतिरिक्त और भी खोले जायंगे जिनमें इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग दी जायगी। इन तीन स्कूलों के अतिरिक्त और दूसरे ट्रेनिंग स्कूल भी खोले जायेंगे और इलाहाबाद में एक छपाई का काम सिखाने का रीज़नल इन्स्टीट्यूट खोला जायेगा। सीखे हुये आदमियों की मांग पूरी करने के लिये दस लाख रुपये प्लान के रक्खे गये हैं जिसमें से Loan लेकर विद्यार्थी बाहर भी जा सकते हैं और हिन्दुस्तान में भी ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पन्द्रह लाख ३० हजार रुपया इसलिये भी रक्खा गया है कि होनहार नवजवानों को वजीफा देकर हिन्दुस्तान और हिन्दुस्तान से बाहर फैक्टरी के कामों में ट्रेन्ड किया जाये।

इस राज्य में एक टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड बनाने का भी विचार है कि जो संस्थाएं और मदरसे टेक्निकल प्रकार के स्थापित हों उन पर कड़ी निगरानी रक्खे और उनके दरमियान कोआर्डीनेशन कराये। यह बोर्ड उसी प्रकार का होगा जैसा कि इंजीनियरिंग शिक्षा के लिये स्थापित किया जा रहा है।

सोशल वेलफेयर

१९—सोशल वेलफेयर के सम्बन्ध में जितने काम हो सकते हैं उनके करने के लिये जनवरी, १९५५ में सरकार ने सोशल वेलफेयर के नाम से अलहदा एक विभाग स्थापित किया था। चालू वित्तीय वर्ष में बीस लाख रुपया रखा गया था जिससे मुख्तलिफ संस्थाओं को सहायता

ही जा चुकी है ताकि वे अपने कामों को सही तरीके से कर सकें। महिलाओं की भलाई की जो स्कीमें तेईस जिलों में चल रही थीं उनको पांच और जिलों में लागू किया गया तथा "स्टेट सोशल ऐडवाइजरी बोर्ड" के कामों को चौबीस जिलों में फैला दिया गया है। कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, लखनऊ, झांसी, मथुरा, हरद्वार, मेरठ, फैजाबाद, गोरखपुर, बरेली और अलमोड़ा में सोशल वेलफेयर के काम की देखभाल के लिये तेरह गजटेड सोशल वेलफेयर अफ़सरान मुक़र्रर किये गये हैं। राज्य में बड़ी बड़ी समाजी संस्थाओं के हालात की जांच की गयी और काबाल (KABAL) टाउन्स में बुड्ढे और अपाहिज आदमियों का 'सर्वे' म्युनिसिपैलिटियों की मदद से किया जा रहा है। सोशल वेलफेयर के मामलों पर सरकार को मशविरा देने के लिये एक सोशल वेलफेयर कौंसिल बनायी गयी है। उन तेरह जिलों में जहां असिस्टेंट सोशल वेलफेयर अफसरान मुकर्रर किये गये हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर कोआर्डिनेशन कमेटियां भी कायम की गई हैं।

समाजी भलाई के कामों के फैलाने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई स्कीमें हैं, जिनके लिये पचासी लाख रुपया रखा गया है। इनमें से इलाहाबाद में अपाहिज औरतों और बच्चों के लिये एक केन्द्र, अपाहिज बच्चों के लिये कानपुर में एक मरकज, मेरठ और कानपुर में दो रेस्क्यू होम, मथुरा और बनारस में दो प्रोटेक्शन होम्स, आगरे में अन्धों का स्कूल, लखनऊ और हरिद्वार में दो कार्यघर और पांच जिलों में औरतों की भलाई के कामों को बढ़ाना विशेष कार्य है। यह भी तय हुआ है कि समाज सेवा के कार्यकर्ताओं के शिक्षण के लिये दो केन्द्र स्थापित किये जायं, जिनमें से एक पुरुषों के लिये होगा और दूसरा स्त्रियों के लिये। इसके अतिरिक्त समाज सेवा संस्थाओं और ऐसी दूसरी संस्थाओं को उचित ग्रान्ट देने का प्रबन्ध भी प्लान में किया गया है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये कामों के अलावा बजट वर्ष में ९ नयी नान-प्लान मदों का काम भी शुरू किया जायगा जिस पर लगभग ७४,००० रु० खर्च होगा। इन मदों में बहरे, गूंगे और अंधों की संस्थाओं के लिये सामान और एपरेट्स खरीदने, बहरे, गूंगे और अंधे विद्यार्थियों को वजीफा देने, सोशल वेलफेयर संस्थाओं को अनुदान देने, दो रेस्क्यू संस्थाएं खोलने और असिस्टेंट सोशल वेलफेयर अफसरों पांच और अस्थायी जगहें--मुरादाबाद, देहरादून, अलीगढ़, रामपुर और शाहजहांपुर में एक एक असिस्टेंट सोशल वेलफेयर अफसर मुकर्रर करने की व्यवस्था की गई है।

हरिजन सुधार

२०--राज्य के कार्य इस प्रकार किये जाते हैं कि समाज के कमजोर और दबे हुए लोग उभर सकें। इसलिये हरिजनों और पिछड़े हुए लोगों के उद्धार की ओर उनकी ऐसी खास दिक्कतों को देखते हुए कि जिनमें वह मुब्तला रहते हैं गवर्नमेंट ने हमेशा विशेष ध्यान दिया। पिछड़े हुए लोगों के तालीमी सुधार को ऐसा ही समझा गया कि बिना इसके उनकी पूर्ण सफलता नहीं हो सकती और इसलिये हरिजन वेलफेयर के महकमे के बजट का आधा रुपया उनकी शिक्षा पर जो उनकी हालत बेहतर करने के प्रोग्राम की विशेष तौर से आवश्यक चीज है, खर्च होता है। हरिजनों की शिक्षा के लिये सुविधाओं में प्राइमरी से माध्यमिक शिक्षा तक उनकी ट्यूशन, खेल, लाइब्रेरी और होस्टल फीस की माफी है। यूनिवर्सिटी में उनकी ट्यूशन फीस माफ की जाती है। चूंकि उच्च शिक्षा अक्सर उनकी शक्ति के बाहर होती है, हरिजन विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिये वजीफे भी दिये जाते हैं। इस वक्त लगभग तेरह सौ तीस शेडयूल्ड कास्ट विद्यार्थी इस किस्म के लाभ उठा रहे हैं। शेडयूल्ड कास्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त उचित वजीफे उन विद्यार्थियों को भी दिये जाते हैं जो कि अन्सार बिरादरी के हों या किसी और पिछड़ी जाति के हों। उन्नीस हजार चार सौ वजीफों के अतिरिक्त जो लोकल बोर्डों को दिये जाते हैं, जूनियर हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्कूलों के वजीफों

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

का योग (total) आठ हजार सात सौ बयालिस है । उचित हालत में उनके लिये किताबें खरीदने को Non-recurring सहायता भी दी जाती है । ऐसी तमाम संस्थाओं में जिनको गवर्नमेंट मदद देती है शेड्यूल्ड कास्ट विद्यार्थियों के लिये हर क्लास की कुल सीटों में से १/६ सीटें महफूज होती हैं । इस प्रकार का प्रबन्ध होस्टलों के दाखिले के लिये भी रक्खा गया है ।

पिछड़े हुये लोगों की हालत बेहतर बनाने के प्रोग्राम में टेक्निकल और पेशों की शिक्षा देने का प्रबन्ध, उनके लिये घरेलू उद्योग-धंधों और दस्तकारियों की उन्नति, उनमें ऐसे लोगों की आबादकारी कि जिनके पास जमीन नहीं है और उनको सरकारी नौकरियां दिलाने के प्रबन्ध हैं । वजीफे इसलिये भी दिये जाते हैं कि ये लोग मेडिसिन, ला, टीचिंग वगैरह के प्रोफेसनल कोर्स लें । सरकार ने ऐसे लोगों के लिये कि जो ट्रेनिंग करना चाहें बख्शी-के-तालाब में एक ट्रेनिंग और टेक्निकल इन्सटीट्यूट खोल रक्खा है । लैण्ड यूटीलाइजेशन ऐक्ट (Land Utilization Act) की एक खास दफा के अनुसार उस जमीन को बांट में, जोकि भिन्न-भिन्न प्रकार से सरकार के कब्जे में आयी हैं, हरिजनों का अव्वल ख्याल किया जाता है । इन्हीं रकबों में भूदान की जमीन भी शामिल है । हरिजनों के लिये अब तक सरकारी नौकरियों में दस प्रतिशत की संख्या मुकर्रर थी अब यह बढ़ा कर अट्ठारह प्रतिशत कर दी गयी है ।

हरिजनों की स्थिति सुधारने और जिन मुकामों में वह रहते हैं उनको सुथरा रखने की स्कीम के अनुसार ये लोग जिन जगहों में भारी संख्या में रहते हैं, सरकार कुएं बनाने और उनकी मरम्मत का काम भी कर रही है । सरकार उन्नयन बस्तियां (Unnayan Bastis), जहां हरिजन आबाद हों, बनाती रही है । कानपुर के नजदीक कल्यानपुर, लखनऊ में आर्यनगर और मुरादाबाद में फजलगंज ऐसी ही बस्तियां हैं । इन बस्तियों में विशेष कर जरायम पेशा लोगों के सुधार और आबादकारी के लिये शिक्षा और ट्रेनिंग के सेन्टर बने हुए हैं । छूतछात के खिलाफ महात्मा गांधी ने जो आन्दोलन शुरू किया था उसके अनुसार कार्य आगे ही बढ़ रहा है, और आज हरिजन मंदिरों में जा सकते हैं, तमाम आम रास्तों या जगहों में डोला-पालकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वह पब्लिक सर्विस में भी आ सकते हैं और कोई भी तिजारत और पेशा बिना रोक-टोक कर सकते हैं । हरिजन अब अर्थियां भी उन जगहों में जला सकते हैं जहां दूसरे लोगों की अर्थियां जलती हैं ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में हरिजनों की स्थिति उठानी और टेक्निकल और इन्डस्ट्रियल शिक्षा का प्रबन्ध करने और जरायम पेशा लोगों की आबादकारी की और ज्यादा स्कीमें चलेंगी । इनमें दो और टेक्निकल सेन्टर और तीन माडल होस्टल खोलने, और पिछड़े हुये लोगों की कृषि में उन्नति और भाबर, टेहरी-गढ़वाल, कुमायूं की पहाड़ियों, दुद्धी और राबर्ट्सगंज के दलित लोगों के इलाकों की और ज्यादा उन्नति करने की योजनाएं विशेष कर बयान करने की हैं । राज्य के हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हरिजन वेलफेयर आफिसर इसलिये मुकर्रर करने की तजवीज है कि हरिजन वेलफेयर की योजनाओं पर जल्द-जल्द काम हो सके ।

बजट वर्ष में बावन लाख, उन्सठ हजार रुपया इसलिये रखा गया है कि हरिजनों, पिछड़े हुये लोगों और जरायम पेशा लोगों की शिक्षा के काम बढ़ाये जायं । एक लाख पैंतीस हजार रुपये, राज्य में जो तीन ट्रेनिंग सेन्टर मौजूद हैं उन पर एक लाख चौवालीस हजार रुपया उन जगहों का सुधार करने पर खर्च होगा जहां पिछड़े लोग रहते हैं । जरायम पेशों की आबादकारी का कार्य भी बजट वर्ष में और आगे बढ़ेगा और तीन सौ खानदानों को साल के आखिर तक खेती-बारी के काबिल जमीनों पर आबाद कर दिया जायेगा ।

लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन

२१––बहुत से जरूरी संशोधन उत्तर प्रदेश पंचायत राज्य ऐक्ट, सन १९४७ में किये गये हैं और पंचायतों का दूसरा चुनाव Amendment Act (तरमीमी क़ानून) लागू होने के बाद अक्तूबर-दिसम्बर, सन १९५५ में हुआ। इन पंचायतों ने सात वर्षों में गांव वालों के पूरे जीवन में उन्नति करने की कोशिश की है और अब उनकी जिम्मेदारियां दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ और बढ़ जायेंगी। मुझको पूरी आशा है कि जो तजुर्बा उनको प्राप्त हो चुका है उसके द्वारा पंचायतें दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनी बढ़ी हुई जिम्मेदारी को पूर्णरूप से संभालेंगी।

गांव में पानी पहुंचाने और सफाई की ओर क्योंकि पहले ध्यान नहीं दिया गया था इसलिये बबायें और रोग फैले। गांव में पीने के लिये और फ्लशदार पाखाने (flush latrines) मुहय्या करने की एक योजना पहली पंचवर्षीय योजना के इस आखिरी साल में आरम्भ की गई है जिसका कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी चालू रहेगा और उसके द्वारा गांव-गांव में अच्छे पानी और फ्लश का प्रबन्ध कर दिया जायेगा उसके लिये तीन हजार गांवों को चुन लिया गया है और चार करोड़ रुपया इस स्कीम पर खर्च होना तय पाया है, जिसमें से अस्सी लाख रुपये बजट वर्ष में व्यय किये जायेंगे।

सरकार ने यह भी चाहा कि शहर और कस्बों में वाटर सप्लाई (Water Supply) का जो काम हो रहा है वह इस रफ्तार से किया जाय कि पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल बहत्तर नये शहरों में वाटरवर्क्स कायम हो जायें। इनमें तेरह वाटरवर्क्स ऐसे हैं जिनमें जो कमी हो गई थी वह पूरी की गयी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में नौ जगहों पर आंशिक वाटर सप्लाई का प्रबन्ध रक्खा गया है और यह भी रक्खा गया है कि पांचों कैबाल (KABAL) टाउन्स और नैनीताल में जो वाटरवर्क्स हैं उनको सुधार दिया जाय। इस काम के लिये प्लान में पच्चीस लाख रुपया रक्खा गया है जिसमें से वित्तीय वर्ष में पांच लाख रुपया व्यय किया जायेगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी भी तुरन्त आवश्यकता है कि जिन जगहों में वाटरवर्क्स और फ्लश सिस्टम होने वाला है वहां ड्रेनेज कराया जाये। यह काम सत्तानबे लाख पचास हजार रुपये के खर्चे से एक प्रोग्राम के अनुसार किया जाने वाला है जिसमें से सत्तरह लाख रुपये का कार्य वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

कम्यूनिटी डेवलपमेन्ट

२२––(अ) कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स––विकास के उन इदारों में जिनका गांव की आबादी के कल्याण से बहुत करीब सम्बन्ध है, कम्यूनिटी प्रोजक्ट ने विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है। ये योजनायें मुख्तलिफ एजेन्सियों के काम को एकत्रित करके और उनमें हम आहंगी पैदा करके एक साफ और सुलझे हुए कार्यक्रम में बदलने के लिये जनता की सहायता के साथ अमल में लाने को रखी गई हैं। जैसे-जैसे यह बढ़ोत्तरी की तहरीक फैलेगी ये योजनायें कल्याणकारी राज्य के काम का एक साधारण तरीका बन जायेंगी।

सन् १९५२–५३ व सन् १९५३–५४ में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के २६ ब्लाक खोले गये थे जिसमें से अठारह ३१ मार्च सन् १९५६ तक अपना काम पूरा कर चुकेंगे और ३० सितम्बर सन् १९५६ तक बाकी आठ ब्लाकों का काम भी पूरा हो जायेगा। इस स्कीम के जो नतीजे इस वक्त तक जाहिर हुए हैं वे आगे को बहुत उम्मीद दिलाते हैं। जिन क्षेत्रों में ये ब्लाक खुले थे वहां बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी के नये-नये तरीकों पर काम किये गये। उम्दा किस्म के बीज बांटे गये और खेती के नये औजार और

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

खाद दिये गये। कॉश क्राप्स में ज्यादा रकबा लाने की भी कामयाब कोशिश की गई। तरकारी और फल लगाने के लिये भी उनकी हिम्मत बढ़ाई गई, जिसके नतीजे में १,०२९ नर्सरीज स्थापित हुईं। तरकारी की काश्त के रकबे में १०,९३२ एकड़ भूमि बढ़ी है और ३,३९५ एकड़ भूमि बागों की बढ़ी है। इसी तरह सिंचाई में भी सुविधायें काफी हो गई हैं और सिंचाई में आने वाले नये रकबे का योग २,३५,८१४ एकड़ है। अन्दाजा है कि योजना के अन्त तक पूरे रकबे के ५० प्रतिशत हिस्से को सिंचाई की सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी। पशुपालन और जन स्वास्थ्य के कामों पर भी काफी जोर दिया गया है। अब हर कम्यूनिटी प्रोजेक्ट ब्लाक के हेडक्वार्टर्स में एक मवेशी अस्पताल खोल दिया गया है और पशुओं में ऐसी बीमारियों को जैसे Haemorrhagic Septicaemia और Rinder-pest को बिलकुल खत्म कर दिया गया है। छोटे उद्योगों के क्षेत्र में भट्ठे जिनकी पूरी संख्या बहुत शीघ्र ही १६६ तक पहुंच गई है देहाती क्षेत्रों में केवल इमारतें बनाने ही में नहीं बल्कि बेरोजगारी को एक सीमा तक मिटाने में भी बहुत कारगर हुए। इन रकबों में जहां ये स्कीमें चल रही हैं छोटे उद्योग-धंधों को तरक्की देने के लिये ११० ट्रेनिंग-कम-प्रोडक्शन सेन्टर भी काम कर रहे हैं। पिछले चन्द महीनों में इन सेन्टरों में से कुछ ने सैलाबजदा इलाकों को १९ हजार रुपये की कीमत की मुख्तलिफ जरूरी चीजें पहुंचाई हैं। यह बात काबिले जिक्र है कि इन सब प्रोग्रामों के चलाने और उनको ठीक तरह बनाने में लोगों ने काफी हिस्सा लिया है—विशेषकर गांवों के बाशिंदों ने तरक्की में अपनी खुशी से बगैर उजरत मेहनत करके काफी हिस्सा लिया है। मैं सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि अगर्चे ये ब्लाक बजट वर्ष में अपना काम समाप्त कर चुकेंगे मगर उनके काम N.E.S. के तरीकों पर आगे चलते रहेंगे।

(ब) नेशनल एक्सटेंशन सर्विस—नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की स्कीम भी जो विशेषकर गांव वालों के समाजी और आर्थिक स्थिति को संभालने के लिये चालू की गई थी, अच्छी तरह चल रही है। इस स्कीम के द्वारा जो १३५ ब्लाक खोले गये हैं उनमें तरक्की के हर किस्म के काम सफलता के साथ हुए और इन ब्लाकों ने १७,४४३ गांव और ८८ लाख आदमियों को फायदे पहुंचाये। नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की सिफारिश के मुताबिक दूसरी पंचवर्षीय योजना की मुद्दत में पूरे राज्य के गांवों में इस स्कीम का जाल बिछा देना तजवीज किया गया है और यह भी विचार है कि ४० फीसदी ब्लाकों को इन्टेंसिव डेवलपमेन्ट ब्लाक बना दिया जाये। इस प्रकार इस राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना के आखीर तक ७५२ एन० ई० एस० और २४५ इन्टेंसिव ब्लाक हो जायंगे। बजट वर्ष में अन्दाजा यह है कि नये ब्लाकों का खर्चा १ करोड़ ६० लाख २५ हजार रुपया होगा जिससे ९९ एन० ई० एस० और २५ इन्टेंसिव डेवलेपमेंट ब्लाक खुलेंगे।

श्रमदान

२३—चालू वर्ष का बजट पेश करते हुए मैंने माननीय सदस्यों की तवज्जुह इस राज्य में एक ऐसी स्कीम की तरफ भी दिलाई थी कि जो हमारी जनता की समाजी जिन्दगी के एक अच्छे पहलू को उभारने वाली थी। इसका नाम हमने श्रमदान रखा था और उसके अनुसार जनता लाभदायक कामों में हिस्सा लेने के लिये सरकार के अधिकारियों की मदद बड़ी खुशी और बगैर किसी उजरत के करने के लिये तैयार थी और है। पिछले सालों के तजुर्बे ने बतलाया कि लोगों ने इस स्कीम को अच्छी तरह अपनाया और इस प्रकार हमारे राज्य की सरकार और जनता एक दूसरे के अच्छे मददगार साबित हुए।

अब माननीय सदस्य इस वर्ष श्रमदान सप्ताह २७ जनवरी से २ फरवरी सन् १९५६ में किये गये काम से अन्दाजा लगायें कि यह स्कीम कहां तक सफल है। इस सप्ताह में सड़कों के निर्माण का कुल योग ५ हजार २ सौ १४ मील ६ फर्लांग २१८ गज है। इसके अलावा १,८३० मील ३ फर्लांग ६६ गज सड़कों की मरम्मत हुई। यह काम सड़क ही तक सीमित नहीं रहा। पूलों के निर्माण का कुल योग १७७ मील ५१ गज है और यही नहीं ७ मील ३ फर्लांग १४७ गज नहरों का भी निर्माण हुआ और १५ मील ७ फर्लांग २० गज नहरों की मरम्मत हुई। यह तो नहरों और सड़कों की किस्म की चीजों के निर्माण में से मैंने आपको बताया। इसके अलावा इमारतों का निर्माण भी देखिये। ४३३ गांधी चबूतरे बनाये और मरम्मत किये गये। इसी तरह ३०५ पंचायतघरों का निर्माण हुआ और २४ स्कूल बनाये गये। इसके नतीजे में बहुत से मुस्तकिल तरक्की के रास्ते खुल गये हैं। इन कामों के करने में जो मेहनत और अपना वक्त लगाया उसकी कीमत का अन्दाजा अगर्चे रुपये की सूरत में चन्द करोड़ ही के करीब है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उसको बड़ी कद्र की निगाह से देखती है और उसकी असल कीमत रुपये की भारी से भारी संख्या से भी लगाना अधिक समझती है।

कृषि और पशुपालन

२४—सन् १९४६–४७ में काश्त का रक़बा तीन करोड़ तिरासी लाख एकड़ था जो बढ़ते-बढ़ते सन् १९५५ के अन्त तक चार करोड़ छब्बीस लाख एकड़ हो गया। बुन्देलखंड के जिले में कांस उखाड़ कर जमीनों को साफ करने का काम सन् १९४८ में आरम्भ किया गया था जिसके अनुसार अब तक दो लाख एकड़ भूमि साफ की जा चुकी है। राज्य सरकार ने गल्ले के उत्पादन में बहुत उन्नति की है और सिर्फ यही नहीं कि ·९८३ मिलियन टन गल्ले की पैदावार का वह लक्ष्य जो पहली पंचवर्षीय योजना में रखा गया था उसे पूरा किया गया बल्कि उत्पादन ३·६३ मिलियन टन और अधिक हुआ। राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि सन् १९५५–५६ को मेयारी साल मानते हुये दूसरी पंचवर्षीय योजना में दो मिलियन टन गल्ले का और उत्पादन किया जाय। दूसरे प्लान में फल और तरकारियों के उत्पादन की ओर भी अधिक से अधिक ध्यान दिया जायेगा। यह भी तजवीज हुआ है कि साठ हजार एकड़ भूमि में नये बाग लगाये जायें और एक लाख पचास हजार एकड़ पुराने बागों को सुधारा जाय। जूट, काटन और आयल सीड्स के अधिक उत्पादन की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। रिसर्च के कामों में सुविधाओं के बढ़ाने का प्रयत्न किया गया।

पहली पंचवर्षीय योजना में पशु-पालन विकास के क्षेत्र में बुनियादी बात यह रही है कि हर क़िस्म के मवेशियों से पूरा-पूरा लाभ उठाने के लिये अच्छी किस्म के साड़ों द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से मवेशियों की नस्ल सुधारी जाये। उत्पादक (Productive) मवेशियों को अच्छे किस्म का चारा देने के लिये उपाय किये गये और मवेशियों को खास तौर से रिंडर पेस्ट (Rinder pest) जैसी बीमारियों से बचाने के लिये बड़े पैमाने पर आन्दोलन चलाया गया और साथ ही साथ जिन इलाकों में जरूरत थी उनमें मवेशियों की चिकित्सा का भी प्रबन्ध किया गया। यह काम अच्छी तरह बढ़ा और जो लक्ष्य (targets) इन कामों के लिये रक्खे गये थे वह अब तक प्राप्त कर लिये गये हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह तजवीज है कि ३० और Artificial Insemination Centres और मवेशियों की नस्ल सुधारने के ३० मरकज स्थापित किये जायें। इसके अतिरिक्त ५१ Key Village Blocks का क्षेत्र भी बढ़ाया जायेगा। यह भी तजवीज है कि राज्य भर में चारे की क़िस्म सुधारने के लिये एक आन्दोलन चलाया जाये और साथ-साथ कृषि तथा वन विभागों के सहयोग से चारे के विकास के लिये मिली जुली योजनायें बनाई जायं। इसके अतिरिक्त यह भी तजवीज है कि ८ और सरकारी गोसदन, १२ प्राइवेट गोसदन और ५१ छोटे गोसदन स्थापित किये जायं ताकि हर जिले में कम से कम एक गोसदन हो जाय। वेटरिनरी कालेज, मथुरा

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

में वेटरिनरी के उपयुक्त कर्मचारियों को पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनिंग देने का भी प्रबन्ध रखा गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी इलाकों में भेड़ों के दस फार्म और भेढ़ों के तीस केन्द्र तथा भेड़ और ऊन बढ़ाने के बहत्तर और केन्द्र स्थापित करने की तजवीज है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त केन्द्रों में पांच सौ नई फिश नर्सरीज और पांच फिश डिमान्सट्रेशन फार्म खोलने का प्रबन्ध भी किया गया है। यह आशा की जाती है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान में हर साल छत्तीस हजार मन मछलियां और बढ़ जायेंगी।

बजट वर्ष में ११ Artificial Insemination Centres और ५ Extension Centres खोलने की तजवीज है। इसके अतिरिक्त १० मवेशियों के शफाखानों को Provincialize किया जायेगा तथा १० जिलों में सारे मवेशियों के Rinder-pest से बचाव के टीके लगेंगे। यह भी तजवीज है कि २४ भेड़ और ऊन बढ़ाने के केन्द्र भी स्थापित किये जायें।

सिंचाई और बाढ़ की रोकथाम

२५—पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई की जो स्कीमें रखी गई थीं उनमें से लगभग सारी स्कीमें मार्च सन् १९५६ के अन्त तक पूरी हो जायेंगी, जिनका परिणाम यह होगा कि सिंचाई का जो रकबा ६७ लाख ८० हजार एकड़ था वह बढ़कर एक करोड़ सात लाख नब्बे हजार एकड़ हो जायगा। नूलों की लम्बाई जो सन् १९४६ में सतरह हजार आठ सौ चौबीस मील थी वह तेइस हजार मील हो जायगी और ट्यूबवेल जिनकी संख्या सन् १९४६ में अठारह सौ सैंतालीस थी पांच हजार एक सौ इकावन तक पहुंच जायगी। इन सबके नतीजे में जरायती पैदावार में ५ लाख ५७ हजार टन का इजाफा हो जायगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के कामों को करने के लिये ३५ करोड़ ३० लाख रुपया रखा गया है, जिससे १५ लाख ६० हजार एकड़ रकबे की और सिंचाई होने लगेगी। प्लान में एक हजार पांच सौ नये ट्यूबवेल और ११ नई बड़ी सिंचाई की स्कीमें सम्मिलित हैं, जिनमें से रामगंगा रिवर प्रोजेक्ट, माताटीला डैम का दूसरा स्टेज, नानक सागर और सारदा सागर का दूसरा स्टेज खास-खास हैं। इन तमाम नई स्कीमों पर, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखी गई हैं, कार्य आरम्भ हो जायगा। वित्तीय वर्ष में ३ करोड़ ९३ लाख ५० हजार रुपया उन पर व्यय किया जायेगा। पहली पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में जो कार्य शुरू किये गये थे उन्हें पूरा करने में ५ करोड़ १९ लाख ९० हजार रुपया और खर्च किया जायगा।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में २२.५ करोड़ रुपया कई खास शहरों को नदी के कटाव से बचाने के लिये और Flood Detention Reservoirs के लिये रखा गया है। इन स्कीमों पर और पहली पंचवर्षीय योजना की चालू स्कीमों पर ६८८ लाख रु० व्यय होगा, जिससे ४ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि तथा १,३०० गांवों का बाढ़ से बचाव होगा।

फ्लड रिलीफ

२६—उत्तर प्रदेश के बत्तीस जिलों में पिछली बरसात के मौसम में असाधारण वर्षा के कारण और पश्चिमी जिलों में तूफानी हवा की वजह से ३२ जिलों की फसल और इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचा है। बाढ़-पीड़ितों की तुरन्त सहायता करने में जो रुपया व्यय किया गया उससे राज्यके वित्तीय साधनों पर भारी बोझ पड़ा है। व्यय किये गये रुपये का ब्योरा इस प्रकार है—उन्तालीस लाख रुपया Gratuitous Relief में, चौदह लाख पन्द्रह हजार रुपया फीस की माफी के रूप में, दस लाख अस्सी हजार रुपया टेस्ट वर्क्स के रूप में, एक लाख पचासी हजार रुपया भूसा खरीदने के लिये मदद के तौर पर और एक करोड़ बासठ लाख रुपया

तकावी और ऋण में। दो लाख चालीस हजार रुपये के चर्खे मुफ्त बांटे गये। इन तमाम मदों पर कुल दो करोड़ चौवन लाख बीस हजार रुपया व्यय किया गया है। तकावी का जो रुपया बाकी था उसमें चौबीस लाख रुपये की छूट दी गई।

बिजली

२७—सन् १९४७ में जो गवर्नमेन्ट के बनाये हुए पावर स्टेशन मौजूद थे उनकी Installed Capacity ४३,२०० किलोवाट थी। उसके बाद मोहम्मदपुर, पथरी, खटीमा पावर-स्टेशन तैयार हुए। सोहावल पावर-स्टेशन में २,००० किलोवाट बिजली बढ़ाई गई और हरदुआगंज पावर-स्टेशन में ७,००० किलोवाट। इनके अतिरिक्त गोरखपुर में ३,१२५, मऊ में २,२००, देवरिया में ६००, गुरसहायगंज में १,७५०, नीब करौरी में २,७५० और मैनपुरी में ७५० किलोवाट्स Installed Capacity के बिजली-घर तैयार हुए। इनका total ९४,७२५ किलोवाट्स होता है। सितम्बर सन् १९४७ में गवर्नमेंट ने कानपुर का पावर-स्टेशन खरीद लिया था जिसकी Installed Capacity ६४,००० किलोवाट थी और उसके बाद उसमें १५,००० किलोवाट और बढ़ाये गये। इस तरह इस राज्य में गवर्नमेंट के पास २,१६,९२५ किलोवाट Installed Capacity के बिजली घर हो गये। यह सब कुछ पहले प्लान के अन्त तक हो चुका।

अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो पावर-स्टेशन बनाये जाने के लिए तजवीज हुए हैं वह यह हैं:—

(१) यमुना	..	५१,०००	किलोवाट	Installed Capacity
(२) रिहन्द डैम	..	२,५०,०००	,,	,,
(३) हरदुआगंज एक्सटेन्शन		३०,०००	,,	,,
(४) सोहावल	..	१५,०००	,,	,,
(५) माताटीला	..	१५,०००	,,	,,
(६) मऊ	..	१५,०००	,,	,,
(७) गोरखपुर	..	१५,०००	,,	,,
(८) मैनपुरी	..	१०,०००	,,	,,
(९) केसा एक्सटेन्शन	..	१५,०००		

दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन सब बिजलीघरों की Installed Capacity ४,१६,५०० किलोवाट्स हो जायगी। इससे जाहिर है कि सन् १९६१ में इस राज्य की अपनी बनाई हुई बिजली का योग (टोटल) ६,३३,४२५ किलोवाट्स होगा।

पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में उत्तर प्रदेश के बिजली के महकमे ने चौदह जगहों को बिजली दी, जिनके नाम ये हैं :—

(१) टनकपुर
(२) रामनगर
(३) लखीमपुर
(४) बिसवां
(५) खेरी
(६) रानीखेत
(७) बागेश्वर
(८) मसौली
(९) बस्ती

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

(१०) देवरिया
(११) खलीलाबाद
(१२) मुडेरा बाजार
(१३) बलिया
(१४) मऊनाथ भंजन।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में २३५ जगहों को बिजली दी जायेगी जिनमें से तकरीबन दो सौ देहाती रकबे में और बाकी शहरी रकबे में होंगे।

नवम्बर सन् १९५५ तक सरकार का बिजली का महकमा ४०५६ स्टेट टयूबवेल्स में बिजली लगा चुका है। इसके अलावा आगे को जितने टयूबवेल्स दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनेंगे उनमें भी बिजली लगायेगा।

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट

२८—पी० डब्ल्यू० डी० ने सड़कें बनाने का जो प्रोग्राम फेज नम्बर १ का सन् १९४६ में आरम्भ किया था और जो काम पहली पंचवर्षीय योजना में सड़कों के सम्बन्ध में हुये हैं उनके अनुसार मार्च, १९५६ तक नौ हजार चार सौ अस्सी मील पक्की सड़कें और दो सौ चालीस मील सीमेन्ट-कंकरीट की सड़कें बन जायेंगी और सत्तरह सौ चालीस मील वह पक्की सड़कें भी तैयार की जायेंगी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के पास हैं। पिछले पांच वर्षों में पच्चीस बड़े पुल बन चुके हैं और कुछ पुल तैयार होने के करीब हैं, जिनमें से मुख्य गढ़वाल जिले में कीर्तिनगर के मुकाम पर अलखनन्दा दरिया का पुल, मेरठ–बागपत सड़क पर हिन्दन नदी का पुल और टनकपुर–पिथौरागढ़ सड़क पर जगबुरा नदी का पुल है।

जहां तक दूसरी पंचवर्षीय योजना में पी० डब्ल्यू० डी० के कामों का सम्बन्ध है उसकी कुछ विशेष बातें यह हैं कि ४८५ मील लोकल पुख्ता सड़कें दोबारा बनाई जायेंगी और ३३५ मील उन सड़कों को नये ढंग से तैयार किया जायगा जिन पर भारी गाड़ियां चलती हैं। ८९० मील नई पक्की सड़कें बनाई जायेंगी। २६० मील कच्ची सड़कें तैयार की जायेंगी और ३० नये पुल बनाये जायेंगे। यह तय किया गया है कि बजट वर्ष में दूसरी पंचवर्षीय योजना की नई स्कीमों को आरम्भ करने के लिये छत्तीस लाख पैंसठ हजार रुपया व्यय किया जाये।

ट्रान्सपोर्ट

२९—रोडवेज द्वारा राज्य के लोगों को सफर के लिये सस्ती और आरामदेह सवारियां आसानी से मिल रही हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में रोडवेज पैसेंजर सर्विस चार सौ चौंसठ नये मीलों पर चलाई जानी तजवीज की गई हैं जिसके लिये एक सौ एक बसें चलाई जायेंगी जिनमें एक करोड़ चालीस लाख अड़तीस हजार और मुसाफिरों को सफर करने का अवसर मिलेगा। इस स्कीम पर पचासी लाख पचास हजार रुपया खर्च होगा। इससे एक तरफ तो सरकार को माकूल आमदनी होगी और दूसरी ओर छत्तीस हजार दो सौ चार Man months से रोजगारी बढ़ेगी। बजट वर्ष में एक सौ तेईस मील नई सड़कों पर पचास नई डिजिल बसें चलाई जायेंगी, इस पर लगभग बयालीस लाख चौरासी हजार रुपये का कुल खर्चा होगा जिसमें बारह लाख बयासी हजार की वह भी रकम सम्मिलित है जो जमीन हासिल करने और बस स्टेशन और डिपो बनाने में व्यय होगी।

मेडिकल और पब्लिक हेल्थ

३०--सिर्फ यही नहीं कि लोगों का तन्दुरुस्त और क़वी होना कौमी दौलत को बढ़ाता है बल्कि समाजी न्याय की मांग भी यही है कि एक कल्याणकारी राज्य लोगों की जिस्मानी तन्दुरुस्ती के मुत्ताल्लिक ग़फलत न करे। अगर्चे पहली पंचवर्षीय योजना में लोगों की तन्दुरुस्ती की हिफ़ाजत और इलाज के द्वारा कितना ही काम किया गया है मगर फिर भी इसके संबंध में जहां तक पहुंचना है उसमें अभी बहुत कमी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस पर खर्च करने के लिये १९ करोड़ रुपये रक्खे गये हैं, जिसमें से बजट वर्ष में महकमें के मामूली सालाना खर्च के अलावा लगभग २ १/२ करोड़ रुपये और व्यय किये जायंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ढाई सौ एलोपैथिक और पचास आयुर्वेदिक नये शफ़ाखाने स्थापित किये जायंगे जिनमें से इस बजट वर्ष में पचास एलोपैथिक और १० आयुर्वेदिक शफ़ाखाने खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरे प्लान में एक हजार छः सौ बारह जच्चा-बच्चा वेलफेयर के नए केन्द्र सम्मिलित हैं, जिनमें से २७ बजट वर्ष में स्थापित किये जायेंगे। चिकित्सा की सुविधाओं में जो बढ़ोत्तरी होगी उसके लिए ट्रेन्ड पर्सोनल यानी सीखे हुए आदमियों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न भी सामने आया है। इसके लिए सरकार ने कानपुर में एक नया मेडिकल कालेज खोलने की भी मंजूरी दे दी है, जिस पर एक करोड़ सतहत्तर लाख रुपये का खर्च होगा और आशा की जाती है कि हर वर्ष १०० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करेंगे। पिछले साल जो सरकारी आयुर्वेदिक कालेज खोला गया था उस पर २८ हजार रुपया और खर्च किया जायेगा और यह भी तजवीज है कि दस लाख की लागत से एक होम्योपैथिक कालेज, जिसमें ६० मरीजों के बेड्स का भी प्रबन्ध हो, खोला जाये। ट्रेण्ड-नर्सों, कम्पाउंडरों, हैल्थ विजिटरों, सेनिटरी-इन्सपेक्टरों और मिडवाइफों की संख्या भी बढ़ाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। जिस प्रकार लखनऊ और आगरा के मेडिकल कालेजों में स्पेशलिस्ट्स द्वारा इलाज का प्रबन्ध है उसी तरह दस डिवीजनल हेड-क्वार्टर्स में भी प्रबन्ध किया जायगा। कैन्सर और फाइलेरिया जैसी बीमारियों के इलाज का भी विशेष प्रबन्ध किया गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में तपेदिक के २४ क्लीनिक और दो सेनिटोरियम और खोले जायेंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना में सात करोड़ रुपया नये अस्पताल, सेनिटोरियम और दवाखानों की इमारतें तैयार करने के लिये रक्खा गया है। यही नहीं, बल्कि बीमारियों की रोकथाम और इलाज के तरीकों में उन्नति करने के लिए मेडिकल कालेजों में बड़ी तादाद में रिसर्च प्रोजेक्ट्स स्थापित करने के लिए अधिक ग्रान्ट दिये जाने का भी प्रबन्ध किया गया है।

जो कुछ कहा गया उसके अतिरिक्त बजट वर्ष में चार लाख पचपन हजार रुपया और कई नान प्लान मदों के लिए रक्खा गया है जिनमें से तिब्बत की सरहद के करीब हमारे इलाके के लोगों को इलाज के लिए सहायता देना और कैलाश और मानसरोवर के यात्रियों के रास्तों के लिए सफाई के प्रबन्ध करना भी है। सरकारी मुलाजिमों और सदन के सदस्यों के लिए इलाज की आसानी और दवाओं का प्रबन्ध भी किया गया है और जिन औरतों के बच्चे होने वाले हों उनके लिए दो और शहरों में दूध की सप्लाई का इन्तजाम भी रक्खा गया है।

वन विभाग

१--उत्तर प्रदेश में इस वक्त जंगलात की बहुत कमी है। किसी एरिया में इक्कीस फीसदी जंगलात होने चाहिये मगर यू० पी० में सिर्फ ग्यारह प्रतिशत हैं जिसमें से नौ प्रतिशत पहाड़ों में और दो प्रतिशत मैदान में हैं। जंगल आदमियों की तन्दुरुस्ती और फसलों की पैदावार और फलों की बढ़ोत्तरी पर बहुत असर डालता है। इस हालत को देखते हुए सरकार ने जंगल के लगाने की रफ्तार को बहुत बढ़ाया है और भूमि संरक्षण (Soil Conservation) का काम भी कराया है। इतना ही नहीं बल्कि मौजूदा जंगलों की हिफाजत के लिये सरकार ने एक नया कानून जारी किया है जिसका नाम Indian Forest (U. P.) Amendment Act है।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

दूसरी पंचवर्षीय योजना में जंगलात के रकबे को बढ़ाने और इस वक्त जो जंगल हैं उनकी हालत बेहतर बनाने के कामों पर जोर दिया गया है। इसका लक्ष्य यह है कि एक ओर तो जमीन की हिफ़ाजत की जाय और दूसरी तरफ़ मौजूदा और नई चालू होने वाली इंडस्ट्रियों की उन्नति के लिये कच्चा माल पैदा किया जाय। विशेष कार्य ये होंगे:— इंडस्ट्री के काम में आने वाले दरख़्त पचास हजार एकड़ जमीन में लगाये जायेंगे। कुमायूं के पांच लाख एकड़ रक़बे में अव्वल दर्जे के जंगल की उन्नति की जायेगी। दस हजार एकड़ में साल का जंगल दोबारा क़ायम किया जायेगा। पन्द्रह हजार एकड़ देहात की बंजर और बेकार जमीन पर, पांच हजार एकड़ eroded land and ravines पर तथा ५ हजार एकड़ में राजस्थान की सरहद पर जंगल लगाये जायेंगे। राजस्थान की सरहद पर चार हजार एकड़ के लगभग रक़बे पर अब तक जंगल लगाया भी जा चुका है। गिरि गोवर्द्धन पर पेड़ लगाये जाने का काम भी समाप्त हो चुका है और आगरा से मथुरा तक शाही सड़क के दोनों किनारों पर सायेदार दरख़्त लगाये जा चुके हैं और यह काम देहली की तरफ़ बढ़ाया जा रहा है।

वन विभाग के सुपुर्द महात्मा बुद्ध की पच्चीस सौवीं साल गिरह मनाने के सिलसिले में, जो आइन्दा मई में पड़ती है, सायेदार दरख़्त लगाने, एक हिरन पार्क और सारनाथ, कसिया, श्रावस्ती वग़ैरह की सड़कों के layout का महत्वपूर्ण काम किया गया है। यह काम तेजी के साथ चल रहा है।

जेल-सुधार

३२—इस बात की कोशिश जारी है कि कैदियों को शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाय ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। जेलों में कई महत्वपूर्ण सुधार के काम किये गये हैं और कैदियों को फिर से बसाने की बहुत सी स्कीमें सफलता के साथ चलाई जा चुकी हैं। कैदियों को फिर से बसाने और उनका सुधार करने में खुले हुए कैम्प मुफीद साबित हुए हैं। इस समय ऐसा एक कैम्प पीलीभीत जिले में खुला हुआ है और दूसरा कैम्प बजट वर्ष में उस स्थान पर खोले जाने की तजवीज है जहां नानक सागर डैम बनेगा। इस गरज से कि कैदी अपने परिवार से नाता बनाये रखें और उनकी आर्थिक दशा ठीक बनी रहे अस्थायी रूप से उनको छोड़ने के नियम बनाये गये हैं। हाल ही में यह भी तय किया गया है कि किसान कैदियों को अपनी फ़सल बोने और काटने के लिये वक्ती पैरोल पर छोड़ दिया जाय। कुछ चुने हुए जिलों में एक ऐसी स्कीम चलाई गई है जिसके अन्तर्गत आनरेरी पैरोल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं जो तजुर्बे के तौर पर छूटे हुए कैदियों की निगरानी करने और उनके पुनर्वास में सहायक होंगे। यह भी तय किया गया है कि Intensive Probation Scheme को सन् १९५६-५७ में दो नये जिलों में और जारी किया जाये।

सहकारिता

३३—सहकारिता सोशलिस्ट समाज का अगुवा है और साथ-साथ साथी भी। सहकारिता के ही उसूलों से जनता की उन्नति की जा सकती है और उनके जीवन का स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। सन् १९४७ से हमारे प्रदेश में इस बात की बराबर कोशिश की जा रही है कि सहकारिता का तरीका जीवन के सभी पहलुओं में अपनाया जा सके और पैदावार से लेकर ख़रीद फ़रोख्त और खपत सभी कार्यों में अपना उचित स्थान ले सके।

Committee of Direction, All India Rural Credit Survey की बुनियादी सिफारिशों को अपनाने से, सहकारिता के क्षेत्र में एक नये युग की शुरूआत हुई है। अभी तक हमारी पालिसी सहकारिता के बारे में सरपरस्ती की रही है, लेकिन अब सरकार

सहकारी समितियों में बराबर की हिस्सेदार होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में सहकारिता का काम सब दिशाओं में बहुत तेजी से बढ़ेगा। समितियों का काम कर्ज बांटने तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि इसके अलावा खरीद फरोख्त, माल की तैयारी, पैदावार का गोदामों में रखना, दूध के धन्धे और सहकारी खेती का विकास वग़ैरा कृषि सम्बन्धी सभी काम समितियों के जरिये किये जायेंगे। इन सब कामों में सरकार हर स्तर पर हिस्सेदार होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति से हमारे प्रदेश के सहकारी संगठन का रूप एकदम नया हो जायेगा। इस वक्त सहकारी समितियां प्रदेश के एक तिहाई ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करती हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश का हर एक गांव सहकारी समितियों के दायरे में आ जायेगा। इस समय हमारी समितियों द्वारा केवल पांच करोड़ रुपया short-term कर्ज के रूप में बांटा जाता है, जिससे प्रदेश के किसानों की केवल ५ फीसदी मांग पूरी होती है। अभी तक medium-term और long-term कर्जा देने का कोई इन्तजाम नहीं है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में समितियों द्वारा चालीस करोड़ रुपया कर्ज के रूप में बांटा जायेगा जिसमें २५ करोड़ रुपया short-term, १० करोड़ रुपया medium term और ५ करोड़ रुपया long-term कर्ज का होगा। आजकल काश्तकार को नौ से लेकर बारह फीसदी सूद पर कर्ज मिलता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में सूद की दर को घटाते-घटाते सवा छः फीसदी पर ले आया जायेगा। इसके अतिरिक्त सहकारी विभाग और कृषि विभाग दोनों ने मिल कर सारे प्रदेश में उन्नत बीज बांटने की एक योजना बनाई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बीज गोदामों की संख्या बढ़ कर २,५५० हो जायेगी, जिससे सारे प्रदेश के किसानों की बीज की मांग पूरी हो सकेगी। इन बीज गोदामों पर केवल उत्तम बीज रहेगा। साथ-साथ इसका भी प्रबन्ध किया गया है कि इन बीज गोदामों में ठीक समय पर पुराने बीज की जगह नया उन्नत बीज पहुंचता रहे। खरीद फ़रोख्त के दायरे में आशा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बाजारों में आने वाली तिजारती पैदावार का पचीस फीसदी और अनाज की दस फीसदी की खरीद फरोख्त सहकारी समितियों द्वारा होगी। सहकारी समितियों द्वारा कई प्रकार के कारखानें जैसे चीनी की मिलें, तेल पेरने की मिलें, धान कूटने और खांड बनाने के कारखाने खोले जायेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में Co-operative Milk Unions का काम भी लगभग तिगुना हो जायेगा।

सहकारी योजनाओं की सफलता इस बात पर विशेष रूप से निर्भर है कि हर क्षेत्र में वैतनिक तथा अवैतनिक कार्यकर्ताओं की शिक्षा का मुनासिब प्रबन्ध हो। इसीलिये योजना में सहकारी शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया गया है। सहकारी शिक्षा केन्द्रों की संख्या दो से बढ़ कर सात हो जायेगी। भारत सरकार और Reserve Bank of India की देखरेख में एक नया सहकारी शिक्षण केन्द्र मेरठ में खोला गया है। इसके अतिरिक्त पंचों और सेक्रेटरियों को सहकारिता के नियमों और कार्य में शिक्षा देने के लिये १३ mobile units कायम करने की तजवीज है। साथ-साथ यह आवश्यक समझा गया है कि स्कूलों और कालेजों और जन-साधारण में सहकारिता के उसूलों का विशेष प्रचार हो। इस सम्बन्ध में All India Co-operative Union के सहयोग से एक योजना बनाई जा रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो नये काम होंगे उन पर लगभग साढ़े नौ करोड़ रुपया खर्च करना तजवीज हुआ है

साल १९५५–५६ में सहकारी आन्दोलन ने सभी क्षेत्रों में काफी उन्नति की है। हमारी सहकारी संस्थाओं ने Rural Credit Survey Report की सिफारिशों के अनुसार अपना पुनर्संगठन प्रारम्भ कर दिया है। नई समितियों के बनवाने, नये सदस्य भर्ती करने, और हिस्से और अमानत की पूंजी को बढ़ाने के लिये पूरी-पूरी कोशिश की गई है। इस वर्ष में छः हजार से ऊपर नई समितियां बनी, दो लाख सदस्य भर्ती किये गये और चालीस लाख रुपये हिस्से और दो करोड़ रुपये से अधिक अमानत में प्राप्त हुये।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

कुछ जिलों में कर्जा, खरीद-फरोख्त और माल की तैयारी का मिला-जुला कार्यक्रम Pilot Projects के रूप में चलाया गया है ताकि सारे प्रदेश के लिये मुनासिब तरीका निकाला जा सके । सदस्यों को सहकारिता का विशेष ज्ञान कराने के लिये एक Pilot Project भाग्य नगर, जिला इटावा में चलाया गया है ।

साल १९५६-५७ के कार्यक्रम में कोआपरेटिव बैंकों का पुनर्संगठन और Land Mortgage Banks की स्थापना मुख्य कार्य है । इसके अतिरिक्त सन् १९५६-५७ में साठ लाख रुपया Medium-Term के कर्जे के रूप में बांटा जायेगा । साथ-साथ चार सौ बड़े क्षेत्र की primary सोसाइटियां, पचास खरीद फरोख्त की सोसाइटियां, पचास नये-बड़े बीज गोदाम बनाये जायेंगे और State Milk Board, State Warehousing Compa ny State Agricultural Credit (Relief and Guarantee) Fund तथा State Co-operative Development Fund की स्थापना की जायेगी ।

समाजवाद की ओर चन्द कदम और कुछ विशेष बातें

३४—समाजवाद की विशेष बात छोटे आदमी को ऊपर उठाना और उसकी माली स्थिति को दूसरों जैसी बनाना है यानी समाजी और आर्थिक दायरों में उसका दर्जा ऊंचा हो जाय। उत्तर प्रदेश की सरकार ने समाजवाद का कार्य चन्द साल हुए आरम्भ किया था जिसके परिणाम में जमींदारी की मंसूखी हुई, जमींदारी एबालिशन ऐण्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट पास हुआ, जिसके द्वारा तमाम काश्तकार जमींदारों की मातहती से निकले। जमींदारी की मंसूखी का कार्य समाप्ति के करीब आ लगा । सरकार ने थोड़े ही दिन हुए जौनसार बावर जमींदारी एबालिशन विधेयक, १९५५ लेजिस्लेचर के सामने रखा और उत्तर प्रदेश अरबन एरिया जमींदारी एबालिशन ऐण्ड लैंड रिफार्म्स बिल, १९५५ भी पेश किया। इसी के साथ सरकार की ओर से इन्डस्ट्री का राष्ट्रीयकरण भी आरम्भ रहा। उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट का भी साथ-साथ राष्ट्रीयकरण होता चला आया। आज तक़रीबन हर रूट पर सरकारी बसें चल रही हैं। अब लगभग सभी बिजली राज्य के अपने बिजली घरों द्वारा ही बनाई जाती हैं। सरकार ने सीमेन्ट फैक्ट्री भी स्थापित की और लखनऊ में गवर्नमेंट प्रेसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री भी । इन दोनों की पैदावार की शक्ति बराबर बढ़ती चली आई। शुगर इंडस्ट्री में कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रियां क़ायम हो रही हैं। पिछड़े हुए रक़बों की ओर विशेष ध्यान दिया गया और पिछड़े हुए लोगों को भी जैसे हरिजन, शिड्यूल कास्ट और दूसरे पिछड़े हुए लोग इनको भी ऊंचा उठाने का काम किया गया। ऐसे भी क़दम उठाये गये जिनके मक़सद आदमियों की नाबराबरी को दूर करने की ओर चलना था। चालू वर्ष में छोटे सरकारी मुलाजिमों—मसलन पिउन, चौकीदार वग़ैरह के वेतन में २ रु० महीने की बढ़ोत्तरी की गई थी और उसी के साथ जिन मुलाजिमों की तनख्वाह १०० रु० तक थी उनका आधा डियरनेस एलाउन्स उनके वेतन में पहली अप्रैल, १९५५ से मुस्तकिल तौर पर सम्मिलित कर दिया गया था।

यह बजट जो मैंने पेश किया है उसमें भी कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिनकी मैं विशेष चर्चा करूंगा इसलिये कि उनको भी समाजवाद की ओर कदम समझा जा सकता है। एक तो यह बात है कि १५ लाख रुपये इस बजट में इसलिये रखे गये हैं ताकि उनसे प्राइमरी दर्जा यानी पहले से पांचवें तक के विद्यार्थियों की फीस का आधा सरकार की ओर से स्कूलों को अदा हो और यह रक़म हर साल रखी जाएगी । यह भी तजवीज़ किया गया है कि उन सरकारी नौकरों के बच्चों की फीस जिनकी तनख्वाह १०० रु० या इससे कम है, ग्यारहवें और बारहवें दर्जों में आधी फीस माफ हो और वह सरकार की ओर से स्कूलों और कालेजों को अदा हो, इसके लिये १ लाख ९५ हज़ार रु० (आवर्त्तक) इस बजट में रखा

गया है । २०० रु० तक की तनख्वाह वालों का आधा डियरनेस एलाउन्स उनके वेतन में मुस्तकिल तौर पर सम्मिलित किया जा रहा है। यह भी अब कर दिया गया है कि कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों और उनके घर वालों के इलाज के लिये सरकारी चिकित्सालयों में काफी स्टाक क़ीमती दवाइयों का रहेगा, जिसके लिये ४ लाख रुपया इस बजट में रखा गया है । चालू वर्ष के बजट में २ लाख रुपये (आवर्त्तक) इसलिये रखे गये थे कि जिन औरतों के बच्चा पैदा होने वाले हों, KABAL टाउन्स और कुछ देहाती रकबे में ऐसी स्त्रियों को सरकार की ओर से दूध दिया जाय । इस साल १ लाख रुपया और अधिक रखा गया है ताकि २ और टाउन्स में दूध दिया जा सके ।

इनके अतिरिक्त कुछ और खास बातें हैं जो चर्चा करने के काबिल हैं। ५ लाख रुपये बजट में इसलिये रखे गये हैं कि हिन्दुस्तान की पहली जंगे आजादी में जिन वीरों ने कुर्बानियां दी थीं उनकी यादगारें मेरठ, कानपुर, बिठूर, झांसी, इलाहाबाद, बनारस और लखनऊ में बनाई जायं और २५ हजार रुपया (अनावर्त्तक) इसलिये रखा गया है कि बड़े शायरों और कवियों की यादगारें बनाने में सहायता दी जाय और ५ लाख रुपया इसलिये रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी जगहों को बरकरार रखने में लगाया जाय जो तारीखी और सांस्कृतिक अहमियत रखते हैं और इसी रक़म में से इस राज्य में Wild Life को बाकी रखने में खर्च किया जायगा ।

माली खुशहाली

३५—सन् १९४६ से हम उन चीजों की पैदावार बढ़ा रहे हैं जो लोगों की खुशहाली में विशेष सहायता देती हैं । हमें देखना चाहिये कि अब तक जो कोशिशें की गई हैं वे वास्तव में हमारे यहां के लोगों की माली हालत बेहतर करने में सफल हुई हैं कि नहीं । जो आंकड़े प्राप्त हो सके हैं उनके आधार पर मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि जो कुछ यू० पी० सरकार ने लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा करने के लिये किया है उसमें अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । माली खुशहाली को परखने की सबसे अच्छी कसौटी Statisticians के अनुसार, कौमी आमदनी है । परन्तु शुरू से यह बता देना भी जरूरी है कि कौमी आमदनी का साल-ब-साल मुकाबला ठीक–ठीक जभी किया जा सकता है जब कि हमारे अन्दाजे Base period की कीमतों पर आधारित हों और उन कीमतों को हम ऐसा समझ लें कि उनमें कोई तबदीली नहीं हुई, तभी पैदावार की मात्रा में कमी-बेशी ठीक तौर से मालूम हो सकती है । अगर इस रोशनी में देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की कौमी आमदनी सन १९४८–४९ में १,५०९ करोड़ रुपये थी जो बढ़कर सन् १९५४–५५ में १,८२४ करोड़ रुपये हो गई । इसके मुकाबले में एक आदमी की आमदनी सन् १९४८–४९ में २४९ रु० थी और सन् १९५४–५५ में २७७ रु० हो गई । आमदनी की १,५०९ करोड़ रुपये से १,८२४ करोड़ रुपये की बढ़ती इस जमाने में केवल पैदावार की मिकदार बढ़ जाने की वजह से हुई । इस हिसाब में जो तरीका प्रयोग में लाया गया है वह इस अन्दाजे को कीमतों के बढ़ने-घटने के अन्तर से बचा लेता है, क्योंकि यह अन्दाजा यह मानकर लगाया गया है कि जो कीमतें सन् १९४८–४९ में प्रचलित थीं वे मुस्तकिल रहीं । यह बात हमको फौरन इस नतीजे पर पहुंचा देती है कि इस जमाने में पैदावार बिला शुबह बढ़ गई है ।

सन् १९५४–५५ में उससे पहले साल के मुकाबले १४७ करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई और इस बढ़ोत्तरी में ८५ करोड़ रूरल सेक्टर में और ६२ करोड़ अरबन सेक्टर में बढ़ा । रूरल सेक्टर की बढ़ोत्तरी गेहूं, मकई, बाजरा, जुआर, कोदो, अरहर, तेल की फसलें, गन्ना, फल, तरकारी, भूसा और चारे की पैदावार से हुई । इनमें नुमायां बढ़ोत्तरी गन्ने और फलों और तरकारियों की पैदावार में हुई, जिनकी कीमत का अन्दाजा ३३ करोड़ २० लाख रुपया और २१ करोड़ रुपया किया जाता है । फलों और तरकारियों की बढ़ोत्तरी के माने नेशनल इनकम बढ़ाने के अलावा ये भी हुए कि उनसे हमारी अच्छी गिजायें बढ़ीं । इन पैदावारों के बढ़ने की खास वजह खेती

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

के रकबे की बढ़ोत्तरी है, जो सन् १९५१-५२ में २,६७,००० एकड़ था और सन् १९५३-५४ में ७,१२,००० एकड़ हो गया। यह कुल की कुल बढ़ोत्तरी पहली पंचवर्षीय योजना की मुद्दत में हुई। सन् १९५४-५५ में हमारी फी-कस आमदनी रूरल और अरबन दोनों सेक्टरों में बढ़ी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी पैदावार की बढ़ोत्तरी इन दोनों सेक्टरों में आबादी की बढ़ोत्तरी के मुकाबले में ज्यादा तेजी से हुई। जो कुछ मैंने बयान किया उसमें लिहाज के काबिल यह बात है कि पैदावार में मुसलसल बढ़ोत्तरी हुई है। इससे हम कभी इनकार नहीं कर सकते चाहे कीमतों की थोड़ी सी तबदीली हमको कुछ और ही बताती हो। इस सबका नतीजा यह है कि अब तक हमारी पूरी नेशनल आमदनी सन् १९४८-४९ के मुकाबले में २१ प्रतिशत और फी-कस आमदनी ११ प्रतिशत बढ़ी। आगे बढ़ने से पहले हम यहां अपनी कृषि पैदावार को अच्छी तरह देख लें। सन् १९४८-४९ में कुल कृषि-पैदावार को अगर हम सौ समझ लें तो सन् १९५३-५४ में यह ११२ होगी और सन् १९५४-५५ में १२२ हो गई।

जहां तक इन्डस्ट्री का ताल्लुक है हमारी कुछ अहम इन्डस्ट्रियों में सन् १९५४-५५ में पिछले वर्षों के मुकाबले पर सबसे ज्यादा पैदावार हुई। सन् १९५३-५४ में शक्कर की पैदावार ५६० हजार टन से १९५४-५५ ई० में ९०४ हजार टन हो गई। कागज की ६,८६९ टन से ६,९३९ टन, स्ट्रा और पेपर बोर्ड की ८,२३८ से ९,२०८ टन, Ingots और ढलाई की धातुओं की ५,८४६ टन से ८,४४६ टन, तैयार स्टील की २१,३९७ टन से २८,३३३ टन और बिजली की छः लाख सात हजार छः सौ चौबीस हजार किलोवाट से ६ लाख २० हजार ९ सौ ४४ हजार किलोवाट हो गई।

उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों में लगे हुए ऐसे सर्माये की भी बढ़ोत्तरी हुई जो दौलत को बढ़ाता है। इस बारे में आखिर की मिली हुई संख्याओं के अनुसार Fixed Capital सन् १९५३ के २,३३५ लाख रुपये की संख्या से बढ़ कर १९५४ में २,३६९ लाख रुपये की संख्या तक पहुंचा और Working Capital सन् १९५३ में ४,२९१ लाख रु० से सन् १९५४ में ४,६५५ लाख रुपया हो गया और इस प्रकार ऐसा कुल सर्माया जिससे दौलत बढ़ती हो और जो सन् १९५३ में ६,६२६ लाख रुपया था, सन् १९५४ में ७,०२४ लाख रुपया हो गया यानी उसमें ४ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई।

इन्डेक्स अब हम यह भी देख लें कि हमारे राज्य का तिजारत में क्या हाल रहा? जहां तक बाहर की तिजारत का सम्बन्ध है उसकी संख्यायें गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया छापती है और ये संख्यायें हमारे सामने सन् १९५३-५४ तक की हैं। इन संख्याओं का हिसाब लगाने से और यह समझने से कि सन् १९४८-४९ में यह संख्या १०० थी तो सन् १९५१-५२ में यह संख्या १०९.० हो गई जो बढ़ कर सन् १९५३-५४ में ११४.८ हो गई। इस तरह हिसाब लगाने से दरामद की संख्या १९५१-५२ की १०२.९ से घटकर सन् १९५३-५४ में ९४.७ हो गई। Net exports का इन्डेक्स नम्बर सन् १९५१-५२ के १७२.२ से बढ़ कर १९५३-५४ में ३२९.८ हो गया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि हमारे net exports सन् १९५३-५४ में उससे पिछले २ साल के मुकाबले पर काफी बढ़ोत्तरी हुई और हमारे exports का इन्डेक्स भी १९५३-५४ में उससे पिछले दो साल के मुकाबले पर काफी बढ़ा हुआ है और यह कि हमारे imports में कमी हुई। हम बाहर को विशेषकर खाने का सामान, खालें, रुई पीस गुड्स, शीशे के बर्तन और शक्कर अलावा और चीजों के भेजते हैं। हमारे food exports का इन्डेक्स सन् १९५२-५३ के १२६.१ से १९५३-५४ में १३२.७ हो गया जब कि हमारी imports १४०.८ से घट कर १०८.४ हो गया।

इसका नतीजा यह निकला कि हमारे फूड के net exports का इन्डेक्स १९५२–५३ के ९७.२ से बढ़ कर सन् १९५३–५४ में १७९.६ हो गया। खालों, रुई की बनी चीजों, शीशे के सामान और शक्कर इन सब चीजों के exports में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

जो कुछ मैंने कहा माननीय सदस्य उससे खूब अन्दाजा कर सकते हैं कि इस वक्त तक जितने काम हुए और जितना रुपया उन पर व्यय हुआ उन सबका नतीजा बहुत अच्छा निकला।

उत्तर प्रदेश में कृषि की थोक कीमतों का इन्डेक्स सन् १९५१ से बराबर घटता ही रहा है। अगर हम सन् १९४८ में इस इन्डेक्स को १०० समझें तो सन् १९५१ में यह १०८ हो गया और उसी साल घटने लगा यहां तक कि १९५५ ई० में ६५ रह गया, इसमें ४० फीसदी का घटाव हुआ। दरअसल मई सन् १९५५ में यह इन्डेक्स ५७ तक घट गया था लेकिन सरकार की कीमतों को सहारा देने की पालिसी और उस पर अमल करने से उसकी घटती चाल रुक गई और इसमें कामयाबी हो गई कि दिसम्बर सन् १९५५ में यह ७३ तक आ गया।

इन्डस्ट्री के क्षेत्र में भी कीमतें काफी घटीं अगर्चे यह घटाव मुसलसल नहीं हुआ फिर भी सन् १९५५ में सन् १९५४ के मुकाबले पर जनरल इन्डेक्स घट गया। अगर हम सन् १९४८ में कुल इन्डस्ट्रियल कीमतों का इन्डेक्स १०० समझें तो सन् १९५१ में यह १२७.८ हो गया और उसके बाद गिरते-गिरते सन् १९५५ में ९०.८ रह गया।

जिन चीजों को किसान बेंचते हैं और खरीदते हैं उनमें यह देखने के लिये कि उनकी कीमतों के घटने और बढ़ने से किसानों पर किस प्रकार का और क्या असर होता है हमारा Economics and Statistics का विभाग एक स्पेशल इन्डेक्स नम्बर तैयार करता है। उसको हम Agricultural Parity Index कहते हैं। किसान की जो माली हालत सन् १९४८ में थी उसको १०० ठहरा कर उससे उसकी मौजूदा माली हालत का मुकाबला करना है। पिछले पांच वर्षों का ऐसा इन्डेक्स मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं :—

Agricultural Parity Index

साल	(१९४८ = १००)
१९५१	९८
१९५२	९७
१९५३	१००
१९५४	८४
१९५५	७१

पिछले दो वर्षों में किसान की माली हालत पर कीमतों के फर्क का बुरा असर हुआ। लेकिन यह बात देखने के काबिल है कि Parity Index मई सन् १९५३ में ६३.० तक घट गया था लेकिन दिसम्बर सन् १९५५ में यह बढ़कर ७९.५ हो गया।

जिस माली खुशहाली का मैंने अब तक बयान किया शहरी हल्कों के मजदूर-पेशा लोग भी उसके हिस्सेदार हैं—अगर्चे फैक्ट्री वर्करों की nominal earnings सन् १९५३ के ५३९ से कम होकर सन् १९५४ में ५३२ हो गई थी, सन् १९५५ में कानपुर

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

के मिल वर्कर्रों के Consumers Price Index में बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। इस इन्डेक्स के पांच साल के आंकड़े ये हैं :—

साल	कानपुर के मिल मजदूरों का प्राइस इन्डेक्स (जो १६३६ में १०० माना गया)
१६५१	४५१
१६५२	४४१
१६५३	४५३
१६५४	४०८
१६५५	३७१

सन् १६५५ में १६५४ के मुकाबले पर Price Index ४०८ से घट कर ३७१ हो गया। इस बात को ध्यान में रखने से पता चलता है कि फैक्ट्री लेबर का real earnings का इन्डेक्स सन् १६५३ के १२७ से सन् १६५४ में १४० हो गया जो जंग के बाद सब से बड़ी संख्या है।

३६—मैंने अपनी भावना के अनुसार जो कुछ बताना जरूरी समझा वह सब बता दिया। अब मुझको केवल एक विशेष दरख्वास्त करना और अपील करना है। इस स्पीच में जो हिसाब मैंने बताया है उससे यह बात सबके सामने आ गई कि प्लान पर खर्च करने के लिये रुपये की आवश्यकता है। इसके लिये हम अपनी मौजूदा आमदनी में से कोई पैसा नहीं दे सकते, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है—एक हिस्सा खुद इस राज्य को देना है और एक हिस्सा केन्द्रीय सरकार के जिम्मे रखा गया है। लेकिन यह शर्त है कि हम अपने हिस्से का रुपया खुद लगायें तब केन्द्रीय सरकार से पायें। हमको अपने पास से पांच साल में ४२ करोड़ रुपया राजस्व यानी रेवेन्यू से और ४५ करोड़ रुपया ऋण से व्यय करना है। राजस्व से जो खर्चा होगा उसकी सालाना रकम ८ करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा होती है। इस समय हमारे पास इसका कोई प्रबन्ध नहीं है। इसी के कारण बजट वर्ष में ६५५.५ लाख हजार रुपये का घाटा या Deficit है। अगर प्लान पर व्यय करने के लिये बजट वर्ष में कोई खर्चा न रखा जाता तो घाटा केवल २ करोड़ ८३ लाख रुपये का होता जो मामूली बात थी मगर प्लान के खर्चे की वजह से इतना है जितना कि वह इस समय बजट में है और अगर प्लान के पहले साल का खर्चा बजट में केन्द्रीय सरकार के मशविरे के अनुसार प्लान के कुल खर्चे के १/५ से कम न रखा जाता तो यह घाटा या Deficit और अधिक होता। प्रश्न यह है कि यह रुपया कहां से आये। केन्द्रीय सरकार से तो जितना उन्होंने देना मंजूर कर लिया है उससे अधिक और मिल नहीं सकता। दूसरे प्लानिङ्ग कमीशन और Taxation Inquiry Commission दोनों ने उत्तर प्रदेश की बाबत यह कहा कि इस प्रदेश में दूसरे बड़े प्रदेशों के मुकाबले में टैक्स का औसत फी आदमी कम है यहां यह सालाना औसत फी आदमी ३.२४ है जब कि बंगाल में फी आदमी ८.३, बम्बई में फी आदमी ६.११, पंजाब में फी आदमी ६.११ और मद्रास में फी आदमी ५.३५ है इसलिये और इसलिये भी कि इस प्रदेश की उन्नति होगी और यहां के रहने वालों की आमदनी बढ़ेगी। इस प्रदेश में नया टैक्स लगाना चाहिये। अगर नहीं लगाया जायेगा तो उत्तर प्रदेश का केन्द्रीय सरकार से मांगना बहुत बेजा होगा और नहीं दिया जायेगा। एक दलील यह भी दी गई कि पहली पंचवर्षीय योजना द्वारा जैसा कि मैंने उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बयान में बताया उत्तर प्रदेश में रहने वालों की आमदनी में फी आदमी १८ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी भी हुई है इसलिये इस बढ़ोत्तरी में से सरकार को टैक्स जरूर मिलना चाहिये मगर उत्तर प्रदेश सरकार फिर भी यह नहीं चाहती थी कि नया टैक्स लगाया जाये। मैंने एक मर्तबा अपनी बजट स्पीच में यह निवेदन कर दिया था कि सरकार यह चाहती है कि पहली पंचवर्षीय योजना के काम को टैक्स लगाये बगैर पूरा कर दे

इसलिये सन् ५२ के बाद अब तक कोई टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन अब सूरत बिल्कुल दूसरी है अब या कभी नहीं का मामला है। एक तरफ यह प्रश्न है कि इस देश से मुफलिसी को निकाला जाय या नहीं, उसके निकालने के लिये विकास और उन्नति की जाय या नहीं, दूसरी ओर लोगों को टैक्स से बचाये रखने का सवाल है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले के दिमाग को इन दोनों पर विचार करके यह निश्चय करना है कि भूखे का पेट भरूं या अपना पैसा बचाऊं, मैं देश के लिये हूं या देश मेरे लिये है और उसका कोई हक मुझ पर है या नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार समाज के फायदे के खातिर जिसमें सभी सम्मिलित हैं यह फैसला नहीं कर सकती कि भुखमरी को न निकाला जाय और मुफलिसी को रहने दिया जाय। न कोई देशभक्त आदमी ही ऐसा फैसला कर सकता है इसलिये कि उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की तबाही होगी उसका फैसला यही होगा कि जरूर टैक्स लगाया जाय कोई और सूरत नहीं। खर्च में कमी करने से भी इतना रुपया नहीं मिल सकता सिर्फ फजूल और गैर-जरूरी खर्चा अगर वाकई कोई हो तो मवकूफ किया जा सकता है वरना एक बढ़ने और बनने वाले प्रदेश या देश के खर्च को रोका नहीं जा सकता। इसलिये सरकार ने मजबूरन यह निश्चय किया है कि इस बजट में जो साढ़े ९ करोड़ रुपये का घाटा या deficit है उसको सेल्स टैक्स यानी बिक्री-कर और किसी दूसरे टैक्स या टैक्सों से पूरा किया जाय और इतने रुपये का प्रबन्ध कर लिया जाय जितने रुपये की आवश्यकता है ताकि इस प्लान का काम पूरा हो और उसके द्वारा यहां के रहने वालों की आमदनी में बढ़ोत्तरी हो। सन् ४६ से अब तक इस प्रदेश में विकास का जो काम हुआ है उसके नतीजे सामने आ गये। आज हर इन्साफ से देखने वाले की आंख देखती है कि उत्तर प्रदेश आज वह उत्तर प्रदेश नहीं जो सन् ४६ से पहले था। आज उसके पास हजारों मील सड़कें, हजारों ट्यूबवेल, हजारहां मील नहरें, शफाखाने, मदरसे, उद्योग-धन्धे, लाखों किलोवाट बिजली, बड़े-बड़े बिजली घर, लाखों एकड़ काश्त, सैकड़ों बीज घर, हजारों सहकारी समितियां वगैरह-वगैरह हैं। ये वे चीजें हैं जिनसे दौलत पैदा होती है। मानता हूं कि जो कुछ आज है वह कम है—बहुत कम है इसीलिये कहता हूं कि उसको बढ़ाओ—हौसले और हिम्मत से काम लो। कष्ट और त्याग ही आदमी को बढ़ाता है बुजदिली और कम हिम्मती तबाह करती है, रुको मत, चले चलो कि मंजिल सामने है, शौक से गोद खोले हुए बुला रही है कि आओ धन-दौलत और आमदनी क्या मेरे दामन में तुम्हारे लिये सब कुछ है इसलिये जनाबे वाला, आपके द्वारा मैं इस सदन के मेम्बरों से, इस सदन के बाहर उत्तर प्रदेश के निवासियों से, मर्द, औरत, जवान, बूढ़े, अमीर, गरीब, भिन्न-भिन्न पार्टियों वाले और बगैर-पार्टी वाले सबसे अपील करता हूं कि अपने इस उत्तर प्रदेश को इतना ही नहीं कि तबाही से बचायें बल्कि उसको एक ऐसा दौलत वाला प्रदेश बनायें जिसमें कहीं किसी कोने में ढूंढ़ने से भी कोई गरीब और किसी मुसीबत में फंसा हुआ आदमी न मिले। यह टैक्स उस आराम और दौलत के मुकाबले में क्या चीज है जो इसके जरिये से उत्तर प्रदेश को यकीनन प्राप्त होने वाली है। मुझको पूर्ण विश्वास है कि वह उत्तर प्रदेश जो भारतीय संस्कृति का गहवारा रहा है जिसने केवल खुद ही सफलता का रास्ता नहीं देखा बल्कि औरों को दिखलाया है अपने विकास में पूरी सफलता प्राप्त करता रहेगा और अपनी उन्नति के कामों के लिये शौक के साथ उस टैक्स को जिसका लगना खुद उसके लाभ के लिये है अदा करेगा। नहीं इतना ही नहीं बल्कि यह त्याग भी करेगा कि थोड़ी-थोड़ी रकमें बचा कर Small Savings Scheme में भी कर्जा देगा, जिसका उसको सूद भी मिलेगा और रकम भी वापिस होगी। इस योजना से भी हमको पांच करोड़ सालाना रुपया ऋण के तौर पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के कामों के लिये लेना है। इसके बगैर हमारा प्लान का काम पूरा नहीं हो सकेगा। यह ऐसा काम है जिसकी बाबत यह कहा जा सकता है कि इस हाथ दे उस हाथ ले।

जनाबेवाला, अगर्चे मैंने जो अपील की वह आम है परन्तु मैं इस सदन के सदस्यों और सरकार के छोटे बड़े सभी मुलाजिमों से विशेष अपील करता हूं कि सरकारी मुलाजिम यह समझें कि पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता बहुत कुछ उनके दिल,

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

ईमानदारी, जोश और शौक से काम करने पर निर्भर है। अब तक जो काम हुआ है उसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार उनकी आभारी है मगर आगे उनको और ज्यादा दिलचस्पी, मेहनत और लगन के साथ काम करना है। जहां तक माननीय सदस्यों का ताल्लुक है सरकार उनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने सरकार को प्रदेश की सेवा करने में सहयोग दिया और उम्मीद करती है कि वे अपने प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए बगैर लिहाज पार्टी और रंग के इस प्रदेश से आवश्यकता के अनुसार रुपया हासिल करने और छोटी बचतों की स्कीम द्वारा कर्जा पाने में पूरी मदद करेंगे।

आखिर में जनाबेवाला, आपकी इजाजत से मैं उत्तर प्रदेश की उन तमाम बहनों का मय बेगम श्री अली जहीर साहिबा का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने छोटी बचतों की स्कीम में हमारे प्रदेश के अन्दर एक निहायत कामयाब कोशिश करके कर्जा दिलाया है।

यह मेरी बड़ी भूल होगी कि इस वक्त मैं उन साहबान का शुक्रिया अदा किये बगैर बैठ जाऊं, जिन्होंने इस बजट की तैयारी में दिन रात काम किया है। उनमें से एक हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी श्री बी० बी० लाल हैं जो अपने ओहदे के काम को बड़ी काबिलियत, मेहनत और दिलचस्पी के साथ अन्जाम दे रहे हैं। मैं श्री भरतनरायन डिप्टी सेक्रेटरी का भी बड़ा कृतज्ञ हूं। मुझको उनसे न सिर्फ बजट के काम में बल्कि और काम में जिनसे उनका ताल्लुक है, बहुत मदद मिली है। तीसरे श्री बी० बी० टंडन डिप्टी सेक्रेटरी हैं जिन्होंने खुद मेरे साथ अपने दिन और रात बसर किये हैं। चौथे श्री एन० सी० रे हैं। इस बजट का हर सफा उनका रहीनेमिन्नत है इसलिये कि उनकी निगाह से हिसाब का कोई जुज कोई हिन्दसा और लफ्ज नहीं बचा। उनके बाद वह सब अफसरान स्टाफ और तर्जुमे करने वाले हैं जिन्होंने इस बजट की तैयारी और मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं गवर्नमेण्ट प्रेस के अफसरान और स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बजट साहित्य को वक्त पर छापने के लिए दिन-रात मेहनत की है। मैं अपनी और गवर्नमेन्ट की तरफ से उन सब साहबान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सन् १९५६–५७ का बजट पेश करता हूं।

(इसके बाद सदन १२ बजकर ५८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२४ फरवरी, १९५६।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२४४ एल० ए०—१९५६–७९६।